मूल्य 5 रुपये

हिंदी

ट्रेड यूनियन रिकार्ड

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पाक्षिक मुखपत्र

वर्ष 32 अंक 4 | पृष्ठ सं. 24 | 16–28 फरवरी, 2026

मजदूरों को 'पूंजी का गुलाम' बनाने वाली श्रम संहिताओं को निरस्त करने के मुद्दों पर लगातार संघर्ष जारी रखने का संकल्प

केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ऑनलाइन बैठक में 12 फरवरी की हड़ताल की शानदार सफलता के लिए देश का मजदूर वर्ग, किसान एवं ग्रामीण खेत मजदूरों तथा संसद में समर्थन करने वाले विपक्षी सांसदों का अभिनंदन किया गया, अगले आंदोलन की घोषणा हेतु 5 मार्च को बैठक

केंद्रीय श्रम संगठनों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक में मजदूरों को पूंजी का गुलाम बनाने वाली श्रम संहिताओं को निरस्त करने और उसे लागू करने के विरूद्ध आयोजित 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता एवं उसमें भारी भागीदारी के लिए देश के मजदूरों और उसके समर्थन में उतरे किसानों, ग्रामीण खेत मजदूरों तथा विपक्षी सांसदों द्वारा एकजुटता जताने पर उनका अभिनंदन के साथ श्रम संहिता के विरूद्ध अनवरत एवं सतत संघर्ष का संकल्प दोहराया गया एवं भावी आंदोलन की रूपरेखा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक के बाद बैठकर संघर्ष की योजना बनाने पर सहमति व्यक्त किया गया।

22 फरवरी 2026 को हुई ऑनलाइन जूम मीटिंग की अध्यक्षता इंटक के वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंह ने की और इसमें इंटक से पीजे राजू, एटक से अमरजीत कौर, सुकुमार दामले और विद्यासागर गिरि, एचएमएस से हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू से एलामाराम करीम, सुदीप दत्ता और ए.आर.सिंधु, एआईयूटीयूसी से आर.के.शर्मा, सेवा से सोनिया जॉर्ज, एआईसीसीटीयू से राजीव डिमरी, यूटीयूसी से शत्रुजीत शामिल हुए।

मीटिंग में 12 फरवरी 2026 को हुई देशव्यापी आम हड़ताल एवं प्रतिरोध की कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया। सभी की राय थी कि यह हड़ताल पिछली हड़तालों से बहुत बड़ी थी, जिसमें लगभग 600 जिलों में कई हजार जगहों पर रैलियां, धरने, जुलूस निकाले गए, जिसमें कुछ जगहों पर रास्ता–रोको, रेल रोको भी शामिल था। इस बार ज्यादा सेक्टर हड़ताल पर गए और ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल हड़ताल बहुत बेहतर रही। कुछ एरिया में यह आंशिक भी रही। केरल, पंजाब, असम, ओडिशा, पुडुचेरी जैसे राज्यों में बंद जैसे हालात थे क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं चल रही थीं। सेक्टर के सभी सरकारी/पब्लिक/प्राइवेट हड़ताल पर थे, जिसमें कई मार्केट भी बंद थे। दूसरे राज्यों में भी हड़ताल आमतौर पर सफल रही। बताया जा रहा है कि यह 9 जुलाई की हड़ताल से बेहतर थी।

बैठक में यह भी नोट किया गया कि सरकार समर्थक बीएमएस के साथ रहने वाले मजदूर भी हड़ताल में भाग लिए एवं लेबर कोड की भयावहता को समझा।

कोयला खदान में कोयला मजदूरों की हड़ताल पिछली हड़तालों से ज्यादा असरदार रही। 80 से 100 प्रतिशत के बीच हड़ताल रही, सिवाय एक जगह के जहां यह 50 प्रतिशत थी। इस एक दिन के ही हड़ताल से कोल इंडिया में खनन एवं डिस्पैच पर प्रतिकूल असर से प्रबंधन में दहशत देखी गयी। कॉपर सेक्टर में सौ प्रतिशत हड़ताल थी। तेल सेक्टर खासकर नॉर्थ–ईस्ट के राज्यों में पूरी तरह से रुका हुआ था। पूरे भारत से बैंकों, इंश्योरेंस ने हड़ताल की खबर दी, पोर्ट और डॉक में मिला–जुला असर रहा, क्योंकि दो पोर्ट पर यह 90 से 100 प्रतिशत था, लेकिन कुछ में थोड़ा बहुत असर दिखा। स्टील सेक्टर में सिर्फ थोड़ी–बहुत हड़ताल हुई। टेलीकॉम, पोस्टल और ट्रांसपोर्ट में भी राज्य दर राज्य अलग–अलग हड़ताल रही। कुछ जगहों पर पूरी हड़ताल रही और कुछ में थोड़ी। रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल के साथ एकजुटता में देशभर में मोबिलाइजेशन में हिस्सा लिया, जबकि डिफेंस सेक्टर के वर्कर्स ने पूरे देश में एक घंटे की हड़ताल की, जिसमें 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स शामिल हुए। कुछ राज्यों में बिजली हड़ताल पूरी थी, और कुछ में थोड़ी, लेकिन वे हर जगह अच्छी तरह से मोबिलाइज हुए। तमिलनाडु में एटॉमिक एनर्जी यूनियनों ने हड़ताल की। कुछ राज्यों में गिग–ऐप बेस्ड वर्कर्स ने भी कुछ हद तक हिस्सा लिया। स्कीम वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, बीड़ी, हॉकर्स–वेंडर्स, घर से पीस रेट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स्ड वर्कर्स वगैरह की तरफ से प्रोटेस्ट एक्शन और रैलियों में मोबिलाइजेशन में बहुत अच्छी भागीदारी रही। ऑटो, टैक्सी और ई–रिक्शा यूनियन भी कई जगहों पर रैलियों में शामिल हुईं।

वर्कर्स की भागीदारी ओडिशा दुख के मूड में थी। लेबर कोड से वर्कर्स के श्रम अधिकार और उनकी यूनियनों को होने वाले नुकसान के बारे में देशव्यापी असरदार चर्चा हुई।

इस बार किसानों की भागीदारी भी ज्यादा थी और उन्होंने सीड बिल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ किसान विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। खेती–बाड़ी से जुड़े ग्रामीण वर्कर्स ने भी मनरेगा एक्ट को फिर से लागू करने के लिए कैंपेन करते हुए अच्छी तरह से प्रतिरोध मोबिलाइज किया।

ऐसा लगा कि केंद्रीय श्रम संगठनों (सीटीयूएस) और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच तालमेल कुछ हद तक इस बार बेहतर हुआ है। हमें इस पर और काम करने की जरूरत है। बैठक में संसद सत्र के दौरान दिल्ली में किसान मजदूर संसद के आयोजन हेतु एसकेएम के प्रस्तावित एक्शन पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसका फैसला एसकेएम के साथ प्रस्तावित तारीख 27 फरवरी

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

इंडियन ऑयल में ठेका श्रमिकों का विद्रोह श्रम ज्वार का संकेत बरौनी एवं पानीपत की घटना श्रम क्षेत्र में ज्वालामुखी का संकेतक

विद्यासागर गिरि

देश के सार्वजनिक क्षेत्रों की महारत्ना और भारी मुनाफा कमाने वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बिहार स्थित बरौनी रिफाइनरी में 2 एवं 9 फरवरी 2026 को हजारों ठेका मजदूरों द्वारा स्वतः स्फूर्त विद्रोह जैसी हड़ताल के बाद उसी कंपनी के हरियाणा स्थित ऑयल रिफाइनरी में 23 फरवरी को ठेका श्रमिक विद्रोह एवं अर्द्धसैनिक सुरक्षा बल सीआईएसएम से सीधे टकराइट का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, देश के श्रम जगत में आने वाले उथल–पुथल एवं अंदर–अंदर सुलग रहे ज्वालामुखी का स्पष्ट संकेतक है। भारत सरकार जिस तरह श्रमिकों के विरूद्ध अक्रामक है एवं श्रम अधिकार छीनकर श्रम जगत में अराजक श्रम लूट का मैदान बना रही है उसके विरूद्ध यह स्वतःस्फूर्त हड़ताल एवं विद्रोह तो एक शुरूआत है। बरौनी में हजारों ठेका मजदूर श्रम कानूनों की खुली अवहेलना, बिचौलिये ठेकेदारों के जुल्म एवं अत्याचार, 12–14 घंटा का कार्य दिवस, न्यूनतम वेतन नहीं देने एवं दिये जा रहे वेतन से ठेकेदारों द्वारा प्रतिमाह अवैध वसूली, पैसा नहीं देने पर काम से हटाने और गेट पास छीनने का डर और दहशत में रखने, ठेकेदारों एवं अधिकारियों के मिलीभगत एवं भ्रष्ट आचरण से आक्रोशित और बढ़ते श्रम असंतोष का विस्फोट का गवाह बरौनी में 2 फरवरी और 9 फरवरी को जर्बदस्त हड़ताल में रिफाइनरी पर पड़नेवाले अचानक प्रतिकूल प्रभाव के रूप में प्रतिबिंबित हुआ। बिहार के बरौनी रिफाइनरी की घटना एवं उससे प्रेरित होकर 23 फरवरी को हरियाणा राज्य में स्थित पानीपत रिफाइनरी में फूटा श्रम आक्रोश ने अर्द्धसैन्य बल को भी नहीं बख्शा और हवाई फायरिंग भी आक्रोश को दबा नहीं सकी। दोनों जगहों पर अंदर–अंदर सुलग रही ज्वाला विस्फोटक बनकर नेतृत्व विहीन स्वतः स्फूर्त विद्रोह की शक्ल में रिफाइनरी इकाइयों में भूकम्प सा दृश्य पैदा कर दिया। देशभर में श्रम अधिकार छीने जाने वाले श्रम संहिता कार्यान्वयन के हिटलरी अभियान एवं उसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी हड़ताल की पृष्ठभूमि में संगठित सार्वजनिक क्षेत्रों के ठेका मजदूरों का यह विद्रोह की बानगी एवं स्वतः स्फूर्त कार्रवाई श्रम जगत में आने वाले ज्वालामुखी विस्फोट का संकेतक जैसा है। देश के सम्पूर्ण श्रम जगत में प्रबंधन एवं ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही जुल्म की आंधी, श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन एवं बिचौलिया ठेकेदारों और रंगदारों की एक नई फौज द्वारा संपूर्ण श्रम जगत में मनमानी की पराकष्ठा से उत्पन्न हो रहे श्रम असंतोष विस्फोट की यह बानगी प्रबंधन, सरकार, न्याय व्यवस्था और शासन प्रशासन के लिए एक सबक है। पहले भी स्वतः स्फूर्त एवं नेतृत्व विहीन विद्रोह से सरकार सीख नहीं लेकर मालिकों और लुटेरे मुनाफाखोरों के लिए ट्रेड यूनियन विहीन वातावरण बनाने में लगी है जो श्रम जगत में अराजकता का पर्याय बनेगा जिसका यह संकेतक है।

पानीपत में श्रम आक्रोश विस्फोटक दृश्य

बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाना में विस्तार परियोजना, अनुरक्षण एवं उत्पादन प्रकिया के स्थायी प्रकृति के कार्य में भी ठेका मजदूर नियोजित है जिनसें 12 घंटे काम कराया जाता है एवं न्यूनतम वेतन और डबल दर से कानूनी ओटी तक नहीं दिये जाते।

कम से कम देश का सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्तर एवं मानक था जो एलपीजी दौर में समाप्त कर उदारता ओर प्रतियोगिता के नाम पर श्रम शोषण की उदंडतापूर्ण माहौल सृजित किया जा रहा है। देश में बेरोजगारी की स्थिति का बेजा इस्तेमाल कर भयादोहन एवं देश में ठेका एवं बिचौलिया आउटसोर्स ने संपूर्ण श्रम जगत

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

पिछले पृष्ठ का शेष: मजदूरों को 'पूंजी का गुलाम' ....

(अगर तारीख तय होती है) पर मीटिंग के बाद लिया जाएगा।

मीटिंग में 1 मार्च को एसकेएम और खेती–बाड़ी मजदूर यूनियनों के फ्रंट की मीटिंग के बारे में भी बताया गया।

मीटिंग में यह भी बताया गया कि एसकेएम का पंजाब चैप्टर 10 मार्च को पंजाब के बरनाला में एक बड़ी रैली करने की प्लानिंग कर रहा है जिस पर उनका आखिरी फैसला 24 फरवरी को एसकेएम की मीटिंग के बाद पता चलेगा। यह आम समझ बनी कि चार लेबर कोड का मुद्दा ट्रेड यूनियनों के लिए सबसे जरूरी और सामूहिक सौदेबाजी तथा श्रम अधिकारों की रक्षा एवं अस्तित्व रक्षा का मुद्दा बन गया है, जिस पर हमारे आने वाले कैंपेन में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इसके विरूद्ध अनवरत संघर्ष की कार्ययोजना बनाकर कार्य करना है।

बैठक में सरकार द्वारा आम हड़ताल के दिन ही संसद में आइआर कोड पर अधिसूचना का स्पष्टीकरण और संसद का मुहर लगवाने की धृष्टता को चुनौती बताते हुए सरकार के नंगे कार्पोरेटपक्षी और मजदूर विरोधी रवैये को बेपर्द करने के लिए अनवरत अभियान चलाने पर सहमति बनी। बैठक में सरकार द्वारा आइएलओ को प्रभावित करने एवं अपने मजदूर विरोधी चरित्र को ढकने के लिए झूठे प्रचार के साथ आइएलओ के महानिदेशक को छद्मी रिपोर्ट से प्रभावित करने और आभासी सत्य सृजन के विरूद्ध अलग से 18 फरवरी को आइएलओ के महानिदेशक के साथ केंद्रीय श्रम संगठनों की बैठक और उन्हें सौंपे गये स्मारपत्र पर भी चर्चा हुई। बैठक में आम सहमति बनी कि आने वाले 5 राज्यों के विधान सभा चुनावों में इस लेबर कोड के मुद्दे का इस्तेमाल उस पार्टी का विरोध करने के लिए कैंपेन के तौर पर किया जाना चाहिए जो ये मजदूर–विरोधी लेबर कोड थोप रही है। इस बात पर सहमति बनी कि सीटीयूएस 5 मार्च को लंबे समय तक डिटेल में चर्चा के लिए मिलेंगे ताकि स्थिति की वास्तविक समीक्षा की जा सके और उसके निष्कर्षों पर भविष्य में लगातार अभियान चलाने की जरूरत का पता लगाया जा सके।

पिछले पृष्ठ का शेष: इंडियन ऑयल ठेका श्रमिकों का विद्रोह...

को निरंकुश शोषण एवं लूट का अड्डा बना दिया है। श्रम निरीक्षण की समाप्ति एवं हृदयहीन मुनाफा के लिए श्रम कानूनों को ठेंगा एवं आजीविका समाप्ति के भय का स्थापित साम्राज्य का प्रस्फूटन स्वाभाविक है। दुनिया में हाल के जेनजी का विद्रोह के पैटर्न पर शुरू श्रम विद्रोह संगठित मजदूर शक्ति की ताकत का विश्वासपूर्ण प्रदर्शन है जो श्रम जगत में संगठित श्रम असंतोष का प्रस्फुटन का प्रतिबिंबन है।

हालांकि दुनिया भर में पूंजी का वर्चस्व एवं सत्ता में बैठे कॉर्पोरेटों एवं उनके दलालों की मंडली जिस तरह दुनिया में हृदयहीन अकुत मुनाफे के लिए श्रम शक्ति और श्रम बल को निशाना बनाकर उनके वर्षों–वर्ष से सघर्षों से अर्जित श्रम अधिकारों को छीन रही है, अपने ही घोषित घोषणापत्रों, समझौतों, श्रम मानकों एवं कानूनों का खुला उल्लंघन कर धन लोलुप कॉर्पोरेटों एवं उनके बिचौलिये ठेकेदारों की फौजों के माध्यम से श्रम जगत में शोषण का नंगा नाच करा रही है। उसके विरूद्ध चल रहे परंपरागत संघर्षों से इतर बीच–बीच में दीख रहा श्रम विद्रोह वह संकेतक है, जिसे पूंजीवादी चकाचौंध में या डर के माहौल में दबा कर रखा गया है। भारत में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी के ठेका मजदूरों के स्वतः स्फूर्त विद्रोह के बाद निकली उसकी चिंगारी उसी कंपनी की हरियाणा स्थित रिफाइनरी में विद्रोह की ज्वाला सी प्रस्फुटित हुई है। यह श्रम जगत में बढ़ रहे सुसुप्त ज्वालामुखी का विस्फोट की एक छोटी सी बानगी है। यह एक बार पुनः साबित कर दिया है कि **भूख की आग अगर मस्तिष्क में पहुंच जाती है तो हर चीज जलाकर भस्म कर देती है।** आज श्रम जगत में भारत सरकार द्वारा सृजित किये जा रहे मनुवादी काल के दासत्व वाली सोच की जारी की गई **श्रमशक्ति नीति 2025,** श्रमिकों, खासकर संपूर्ण श्रम जगत में पूंजी एवं कॉर्पोरेट जगत का श्रम बल के विरूद्ध नंगा–नाच, व्यापार में आसानी के नाम पर भारत सरकार के ही श्रम कानूनों का शासन–प्रशासन द्वारा सम्मान तो दूर उसे कूड़ेदान में डालकर और श्रम मशीनरी को पंगु बनाकर श्रम न्याय को दफनाने का जुगत किया जा रहा है जिसके विरुद्ध ट्रेड यूनियनों का संघर्ष जारी है।

पानीपत रिफाइनरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधिमंडल पानीपत के हड़ताली श्रमिकों से बात करते हुए

भयंकर बेरोजगारी का फायदा उठाकर श्रम बल के प्रति उपेक्षा एवं हीन भावना से उत्पन्न हो रहे पूंजी के दबदबा की मदांधता चरम पर है। समाज का संचालक श्रम जगत के प्रतिनिधियों से संवाद एवं वार्ता, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (श्रम संसद) बुलाने तक के लिए 10 वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के श्रम जगत में

रिफाइनरी में तोड़फोड़ करने आए थे श्रमिक, ढाई हजार पर प्राथमिकी

तनाव के दो घंटे : भीड़ करती रही मनमानी, अटकी रही अफसरों की सांसें

हाई रिस्क जोन में है पानीपत रिफाइनरी

पानीपत रिफाइनरी विद्रोह का मीडिया कवरेज का कोलॉज

श्रमिकों की घोर उपेक्षा एवं कॉर्पोरेटों की चाकरी में अंग्रेजी राज से अभी तक के काल में संघर्षों से प्राप्त श्रम अधिकार छीन लिये गये। गुलामी का दस्तावेज श्रम संहिता को मदांधता में 21 नवंबर 2025 से लागू करने की घोषणा कर दी गई, जिसके विरुद्ध श्रम संगठन 'जीने–मरने' के संघर्ष में है और सत्ता और उसके सारे तंत्र इस पर संज्ञान तक नहीं ले रहा है। इसी का प्रतिफल का एक छोटा सा संकेतक है, बरौनी और पानीपत का स्वतः स्फूर्त विद्रोह! बरौनी की घटना पर मीडिया वैसा संज्ञान नहीं लिया लेकिन जब वह पानीपत संस्करण देखा तो एक अखबार में शीर्षक बनाया **'तनाव के दो घंटे : भीड़ करती रही मनमानी, उखड़ी रही अफसरों की सांसे'** एवं **'भीड़ का मूड़ समझने में चूक गये – अफसर को नहीं था इतने उग्र प्रदर्शन का अंदाजा'** दूसरे अखबार ने फोटो सहित न्यूज छापी **"रिफाइनरी में तोड़–फोड़ करने आये थे श्रमिक, ढाई हजार पर प्राथमिकी"** तीसरे अखबार का शीर्षक बना **"हाई रिस्क जोन में है पानीपत रिफाइनरी, बढ़ाई सुरक्षा, पहले से ही सी आई एस एफ की चार कंपनियां हैं तैनात"** इस शीर्षक के साथ फोटो छपा है जिसका कैप्शन है– **"पानीपत रिफाइनरी में पथराव की जानकारी लेते एस.पी एवं दूसरा रिफाइनरी गेट पर तैनात दंगा नियंत्रण फोर्स"।** सोसल मिडिया पर जारी वीडियो में ठेका श्रमिक आक्रोश में **'मरता क्या न करता'** अंदाज में लूट के संरक्षक सुरक्षा बलों पर मानो टुट पड़े हों, दिख रहा है। आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है? इसका उत्तर स्पष्ट है सत्ता में पहुंची हृदयहीन मुनाफे वाले पूंजीपतियों की चाकरी करने वाली मंडली की श्रम एवं श्रमिकों के प्रति असम्मान एवं अपेक्षापूर्ण आचरण। शासन द्वारा उनके श्रम का सम्मान, कानूनी संरक्षण और मानवीय अधिकार, स्वयं संविधान और कानूनों में दर्ज श्रम अधिकारों का सम्मान के बदले श्रम कानून का भी खुला उल्लंघन और उल्टे धौंस जमाने की दबंग प्रवृत्ति। यह घटना सिर्फ बरौनी एवं पानीपत की नहीं बल्कि देश के औद्योगिक क्षेत्रों सहित सरंडा जंगल में स्थित टाटा एवं सेल के स्टील प्लांटों का लौह अयस्क खदानों के श्रमिकों एवं आदिवासी ग्रामीणों का विद्रोह में भी दृष्टव्य है जो दर्शाया जा रहा है।

आज सम्पूर्ण श्रम जगत **"लड़ो या मरो"** के नारा के अन्तर्गत देशव्यापी हड़ताल के बाद अनवरत संघर्ष का आवाहन किया है। देशभर में चल रहे अभियानों और उसके मुद्दों में श्रम अधिकारों की रक्षा, काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, सम्मानजनक जीने का अधिकार, कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं सम्मान एवं सम्मानजनक सेवा शर्तें शामिल हैं। यह सब कानून में है, पर उसका अनुपालन तो दूर उसे उल्लंघन के लिए सरकार कानून बना रही है एवं उल्लंघन करने वालों के लिए **'सुविधा प्रदाता'** अधिकारी बना रही है तो भला मरता क्या न करता!

बरौनी रिफाइनरी हो या देश का सभी महारत्ना–नवरत्ना सरकारी कंपनियां सेल, भेल, कोल इंडिया आदि सहित आज सर्वत्र स्थायी एवं नियमित मजदूर हटाकर बिचौलिये ठेकेदारों की फौज खड़ी कर श्रम जगत का श्रम हालात भयानक एवं बदतर बना डाला गया है। श्रम कानून लागू होना तो दूर उसके प्रति खुद शासन का भी सम्मान नहीं है। काम के घंटे असीमित किये जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन कानून है पर दिया नहीं जाता। रिकार्ड में हॉजिरी की धोखाधड़ी तो है ही, बैंक खाते में रकम भेजे जाने के बाद ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह एक हिस्सा ठेकेदार को वापस नहीं करने पर काम से भगा देता है। अन्य सुविधा तो दूर–पीएफ एवं अन्य लाभ नहीं देता और 'रखो–निकालो' की परिपाटी आजीविका के लिए भय का वातावरण सृजित कर दिया है। मजदूर तो अपना पुरा कानूनी हक तक नहीं जानता न बताया जाता है।

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

पिछले पृष्ठ का शेष: इंडियन ऑयल ठेका श्रमिकों का विद्रोह...

बरौनी में इसी मुद्दे पर कुछ ठेका मजदूर लिखकर दिया कि उन्हें 12 घंटा काम कराकर ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता है। काम से हटा देता है, गेट पास छीन लेता है। कानून का पालन नहीं किया जाता है। अगर यह पूरा हक कानूनी नहीं होगा तो 2 फरवरी को हड़ताल किया जायेगा। प्रबंधन ने इसे हल्के में लिया। लालबाबू नाम का एक नया ठेका मजदूर, जो रिफाइनरी के बगल के रचियाही गांव का है एवं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ ठेका के कार्य में लगा, इस मुद्दे पर मुखर हुआ तो ठेकेदार उसे कन्टेनर में बंद कर पिटाई किया और गेट पास छीन लिया। यह खबर मजदूरों में पहुंची तो 2 फरवरी को सम्पूर्ण ठेका मजदूर रिफाइनरी के भीतर पहुंच कर काम बंद कर दिया और पुरा रिफाइनरी ठप्प होने से हड़कप मच गया। तब प्रधान नियोजक इंडियन ऑयल प्रबंधन एवं रिफाइनरी की मान्यता प्राप्त एटक की यूनियन बीटीएमयू नेता संजीव सिंह एवं स्थानीय विधायक तथा प्रशासन के समक्ष एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। 2 फरवरी को समझौता पत्र के शीर्षक में लिखा गया।

"पीडित कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स द्वारा उठाए गये मुद्दों के संबंध में मैनेजमेंट द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जायेगा" इसमें जिन 1 से 13 बिन्दुओं की चर्चा है उसमें बुनियादी कानूनी प्रावधान चेतन, ओवर टाइम सहित बैंक में वेतन भुगतान साप्ताहिक अवकाश प्रबंधन एवं वर्कर्स की समिति बनाकर साइटों का सप्ताहिक दौरा करेगी, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ठेकेदार द्वारा गेटपास रद्द करने, छंटनी नोटिस देना एवं छंटनी लाभ, सवैतनिक छुट्टी, अर्जित अवकाश, गेट पास के लिए कथित भुगतान, शिकायत निपटारा, महीना में 26 दिन से अधिक काम को ओवर टाइम मानना, साइट में विश्राम शेड, पीने का पानी आदि की निगरानी करना, वेतन भुगतान विवाद निपटारा आदि 13 मुद्दे शामिल किया गया है। यह द्विपक्षीय समझौता हुआ जिसपर एटक यूनियन के नेता संजीव सिंह एवं रजनीश, ठेका मजदूर लाल बाबु एवं स्थानीय मटिहानी क्षेत्र विधायक शोशो सिंह तथा बरौनी रिफाइनरी के कार्मिक महाप्रबंधक मुकेश मिश्रा के हस्ताक्षर हुए। पर हड़ताल का टीस प्रबंधन में दिखा।

2 फरवरी के इस समझौता के बाद ठेका मजदूरों के स्वतः स्फूर्त आंदोलन में शामिल चार सक्रिय श्रमिकों पर प्रबंधन ने 8 फरवरी को पुलिस में एफआईआर नं. 11/26 दायर कराकर अपने प्रभाव से प्रशासनिक दमन का रास्ता अपनाया, जिसमें नामजद लाल बाबु सहित तीन और मजदूर अशोक कुमार, रविन्द्र प्रताप सिंह एवं सोनू कुमार पर बीएनएस की धारा 126(2)/132/6/(2)/ 351(2)/ 352 /3(5) के अंतर्गत केस दर्ज कर अनसंधान शुरु करने के साथ 8 फरवरी के रात्रि में ही **लाल बाबु** को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी सूचना लालबाबू का बड़ा भाई नीतिश द्वारा एटक के नेता प्रहलाद सिंह को दिये जाने के बाद उन्होंने थाना में बात किया तो सुबह छोड़ने की बात कही गई। पर उसे बंद रखा गया। जैसे ही यह खबर मजदूरों के बीच पहुंची, मजदूरों में आक्रोश फैल गया और लगभग 20 हजार मजदूर 9 फरवरी को सुबह प्लांट में घुसकर पूरे प्लांट को जाम कर दिया। प्लांट में अफरा–तफरी सी मच गई। आक्रोशित मजदूरों ने लाल बाबु को रिहा करने एवं समझौता लागू करने की बात की तो प्रशासन, प्रबंधन को मजदूर होकर लाल बाबु को प्लांट ले जाना पड़ा, जहां मजदूरों ने उसे कंधा पर उठाकर जीत का इजहार किया। चल रहे तनाव के बाद जीत के एहसास के साथ स्थिति समान्य बनी, पर प्रबंधन एवं प्रशासन आज भी संकट एवं दहशत में हैं।

इस घटना के बाद गेट पास लेकर काम से हटाया गया। लाल बाबु ने एटक के पंजाब एवं दिल्ली के नेता से सम्पर्क कर स्थिति एवं आप बिति बताया एवं न्याय की लड़ाई में सहयोग की बात की। एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि एवं पंजाब के एटक नेता आर.के तिवारी को एफआईआर एवं एग्रीमेंट एवं विडियो भेजा। एटक मुख्यालय दिल्ली से श्री गिरि ने बेगुसराय जिला के एटक नेता प्रहलाद सिंह, पूर्व सांसद एवं बीटीएमयू (एटक) अध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक अवधेश राय, एवं रिफाइनरी के एटक नेता संजीव सिंह एवं रजनीश जिन्होंने समझौता पर हस्ताक्षर किया था आदि से समन्वय कर मजदूरों को न्याय दिलाने की पहल की। कुछ स्थानीय लोग जो सत्ता के करीबी है ने इस आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया। लाल बाबु के घर वालों को डराया एवं धमकी देकर देशद्रोह का मुकदमा का डर दिखाकर लालबाबू को आंदोलन से बचने और सरकार के विरोध में नहीं बोलने की बात की, इसके बाद भी लाल बाबु डटा रहा तो उसके परिवार ने डर से उसे घर से चले जाने का कहा।

एटक के कॉ.गिरि ने इस मुद्दे को मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय नई दिल्ली के आइआर के क्षेत्रीय श्रमायुक्त श्री पंकज दहियाजी एवं उपमुख्य श्रमायुक्त को सारा रिकार्ड भेज श्रम विभाग की निस्क्रियता पर सवाल उठाये। इस पर मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय से उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) पटना को ईमेल से इन मामले में हस्तक्षेप कर औद्योगिक संबंध एवं न्याय निर्णायार्थ पहल का निर्देश के बाद 2 मार्च 2025 को उप श्रमायुक्त केन्द्रीय ने पटना में प्रधान नियोजक प्रबंधन एवं श्रम पक्ष को बैठक में बुलाया है। एटक यूनियन के नेता संजीव सिंह एवं प्रहलाद सिंह ठेका मजदूरों को न्याय दिलाने एवं कानूनी प्रावधानों को लागू कराने में पहल कर रहे है। पुलिस प्रशासन अभी भी डर एवं अनहोनी के दहशत में है।

इधर बरौनी रिफाइनरी की यह खबर जब पानीपत पहुंची तो वहां भी मजदूरों का आक्रोश विद्रोह में फूट पड़ा और 23 फरवरी को सम्पूर्ण पानीपत रिफाइनरी श्रम आक्रोश की ज्वाला में धधक उठा। पुलिस हवाई फायर भी किया एवं 2000 लोगों पर मुकदमा दायर कर दबाने का प्रयास हो रहा है जो सत्ता की क्रूरता का घोतक है। इस विद्रोह की तह में गये बिना इसे मीडिया एवं प्रशासन दहशत पैदा कर रहे हैं। इसके दूसरे ही दिन 24 को पानीपत में एटक, इंटक, सीटू एवं बीएमएस के नेताओं ने संयुक्त रुप से पानीपत जाकर मजदूरों से मिले हैं। श्रम संघ के नेताओं ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा है कि 'केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने रिफाइनरी में हड़ताली संघर्षरत मजदूरों से उनकी समस्याओं और मांगों के बारे में धरना स्थल पर जाकर बातचीत एवं सभा की। उसके बाद मजदूरों की समस्याओं को लेकर मुख्य प्रबंधक पानीपत रिफाइनरी के नाम लिखित ज्ञापन पत्र भी दिया गया।

बरौनी रिफाइनरी में स्वतः स्फूर्त श्रम विद्रोह एवं उसका नेतृत्व का प्रतीक बना एक युवक लालबाबू जिसे कंधा पर उठाये जूलूस निकालते ठेका मजदूर एवं पुलिस हस्ताक्षेप का दृश्य

प्रतिनिधि मंडल में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू, एटक, इंटक, बीएमएस

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

पिछले पृष्ठ का शेष: इंडियन ऑयल ठेका श्रमिकों का विद्रोह...

के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे जिसमें सीटू राज्य सचिव सुनील दत्त, नवीन छपरा इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन पानीपत कोषाध्यक्ष एवं एटक जिला **सचिव पवन सैनी एडवोकेट पानीपत,** इंटक जिला सचिव महावीर शर्मा, बीएमएस राज्य अध्यक्ष अशोक गौतम, वीरेंद्र राणा, हवा सिंह मैहला, नरेंद्र कादयान आदि शामिल हुए।

उसके बाद संयुक्त ट्रेड यूनियन दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्रेस बयान में कहा गया है कि पानीपत–रिफाइनरी के अंदर बिल्डिंग निर्माण में लगे ठेकेदार के मजदूरों ने शोषण के खिलाफ हजारों की संख्या में 23 फरवरी को हड़ताल पर चले गए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधिमंडल पानीपत रिफाइनरी के अंदर गेट नंबर 4 के पास आवासीय कॉलोनी में हड़ताल पर बैठे मजदूरों की जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं पर उनसे बातचीत भी की। मजदूरों ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार श्रम कानून का घोर उल्लंघन

पानीपत में प्रेस से वार्ता करते एटक, इंटक, बीएमएस एवं सीटू के नेता

कर रहे हैं, न तो समय पर वेतन देते हैं, सभी मजदूरों को ईएसआइ और पीएफ की सुविधा भी नहीं मिलती है, पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, कैंटीन और लंच के समय मजदूरों के लिए बैठने की जगह तक की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। ठेकेदार जबरदस्ती 8 घंटे से ज्यादा काम लेता हैं, ओटी डबल नहीं देता और बहुत कम वेतन देता है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल का मानना है कि ठेकेदार पूरी तरह से श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए मजदूरों का शोषण कर रहा हैं और प्रधान नियोजक इंडियन ऑयल अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं करते, जिसके गुस्से के चलते बिना किसी यूनियन के नेतृत्व में मजदूर स्वत स्फूर्त हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। पानीपत रिफाइनरी मुख्य प्रबंधक भी इसके लिए अधिक जिम्मेवार है, क्योंकि उसने जो ठेकेदार रखे हैं उसने श्रमिकों के कानूनी पावनों, और बाध्यकारी वेलफेयर प्रावधान की उपेक्षा किया है। उन्होंने मांग किया है कि श्रम कानूनों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और श्रमिकों के सारे कानूनी पावनों का बकाया सहित भुगतान कराने की गारंटी करें

संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मजदूरों से बातचीत करने के बाद एक लिखित

बरौनी रिफाइनरी में हड़ताली ठेका मजदूरों का रिफाइनरी के भीतर प्रतिरोध

ज्ञापन पत्र भी पानीपत रिफायनरी के मुख्य प्रबंधक के नाम देकर श्रम कानूनों का शख्ती से पालन करवाने के बारे में ज्ञापन में लिखा है।

उनकी मुख्य मांगों में: (1) मजदूरों से जबरदस्ती 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जाए। (2) मजदूरों से प्रतिदिन 12 घंटे काम लिया जाता है इसलिए 4 घंटे का ओवर टाइम का वेतन कानूनी रूप से डबल दर से दिया जाए, जो वर्तमान में सिंगल दिया जा रहा है। (3) मजदूरों का मासिक वेतन हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान कर दिया जाए और पैसे वापस लेने पर रोक लगाई जाए। (4) सभी मजदूरों को ईएसआई पीएफ की सुविधा प्रदान करते हुए मजदूर और ठेकेदारों की कंपनियां दोनों से सुविधा के लिए पैसे की कटौती होनी चाहिए जबकि पूरा पैसा मजदूरों के वेतन से ठेकेदार काटते हैं जो गैरकानूनी है। (5) कार्य स्थल पर सुरक्षा के सभी उपकरणों एवं सामग्रियों, औजार, पीने के लिए साफ पानी, शौचालय, सस्ते भोजन की कैंटीन, लंच के लिए विश्राम गृह आदि का प्रबंध तुरंत करवाया जाए।

उपरोक्त सभी मांगों को लेकर पानीपत रिफाइनरी मुख्य प्रबंधक की तरफ से लिखित आश्वासन मजदूरों को दिया जाए और श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

वहां की स्थिति को समझने और मजदूरों से बात करने के बाद ट्रेड यूनियन नेताओं ने संयुक्त प्रेस प्यार जारी कर अपनी बातों को भी रखा।

बरौनी एवं पानीपत की यह श्रम विद्रोह एक संकेत है जिस पर ध्यान नहीं गया तो सम्पूर्ण श्रम जगत श्रम आक्रोश की ज्वाला के समक्ष बहुत नुकसान उठा सकता है। यह धरना सिर्फ बरौनी और पानीपत रिफाइनरी का ही नहीं बल्कि इस्पात क्षेत्र, सहित कोयला एवं अन्य खदानें, संगठित क्षेत्रों में ठेका प्रथा में लगे सारे श्रम बल का ज्वलंत मुद्दा है जिसपर सरकार नहीं चेती तो परिणाम दुष्कर होंगे। अभी तक तो सारे कानून हैं एवं सामूहिक सौदेबाजी एवं हड़ताल सहित श्रम अधिकार है। पर श्रम संहिता लागू होने पर तो पूरा निरंकुश वातावरण बनेगा जिसके कारण और भी बदतर हालत होगी जिसका प्रतिरोध विद्रोह एवं क्रांतिकारी स्वरूप में दिखना अवसंभावी है।

बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा दर्ज एफआइआर

18 फरवरी को आइएलओ के निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन

18.02.2026

भारत में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन संगठन (आईएलओ) के माननीय महानिदेशक को संयुक्त ज्ञापन।

श्री गिल्बर्ट एफ. हॉन्गबो
महानिदेशक, आईएलओ, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

माननीय श्री गिल्बर्ट एफ. हॉन्गबो

अक्टूबर 2022 में आईएलओ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद, भारत में आपसे एक बार फिर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।

हमारी पिछली बैठक में हमने देश में ट्रेड यूनियनों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और भारत की दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से आपके विचारार्थ एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिस पर आपसे आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी।

फरवरी 2025 में हमारी पिछली बैठक के बाद से सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है और सत्ताधारी दल ने लोकतांत्रिक व्यवहार, विधि के शासन और सामाजिक संवाद के सभी मानदंडों की घोर अवहेलना करते हुए, चार श्रम संहिताओं की आधिकारिक घोषणा करने और उन्हें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी बनाने के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ गया है।

भारत सरकार के इस एकतरफा, निरंकुश फैसले के विरोध में सभी दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) और औद्योगिक संघों तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), जो भारत के सभी किसान संघों का संयुक्त मंच है, ने 12 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया।

इस संबंध में और आम हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से, सभी सीटीयू, औद्योगिक संघों और एसकेएम का एक सम्मेलन 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन अत्यंत सफल रहा और इसमें सर्वसम्मति से आम हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया गया तथा इसके सदस्यों से हड़ताल के लिए तैयार रहने को कहा गया।

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आम हड़ताल एक बड़ी सफलता रही क्योंकि सभी दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक संघों, नागरिक समाज संगठनों और संबंधित राजनीतिक दलों ने भारी जनसमूह को संगठित किया और अनुमान है कि लगभग 30 करोड़ श्रमिकों, किसानों और आम जनता ने इसमें भाग लिया, जो हाल के इतिहास में सबसे बड़ी भागेदारी थी।

सरकार की मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों, किसानों, आम लोगों और समाज के सभी वर्गों में असंतोष पनप रहा है।

इसलिए हम मांग करते हैं:

सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों (आईएलएस), आईएलओ सम्मेलनों, अनुशंसाओं, घोषणाओं और प्रोटोकॉल का सम्मान करे और राष्ट्रीय कानून और संबंधित नियमों में उपयुक्त संशोधन करके उन्हें लागू करे।

आईएलओ के संस्थापक सदस्य और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत श्रम अधिकारों, मानवाधिकारों और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देगा।

भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी), जो भारत का सर्वोच्च त्रिपक्षीय निकाय है, का तत्काल आयोजन किया जाए, क्योंकि इसका आयोजन 2015 से नहीं हुआ है।

आईएलओ सम्मेलन 87, 98, 190, 155, 187 और 189 का अनुसमर्थन किया जाए।

आईएलओ सम्मेलन 144जो अनुमोदित और बाध्यकारी है उसको लागू किया जाए और त्रिपक्षीयता को बढ़ावा दिया जाए।

आईएलओ सम्मेलन 81 जो अनुमोदित और बाध्यकारी है उसको सख्ती से लागू किया जाए और अनुपालन न करने पर अभियोजन की शक्तियों के साथ नियामक और निरीक्षण निकाय को मजबूत किया जाए।

कार्यस्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) एक मौलिक अधिकार है, इसलिए आईएलओ सम्मेलन 155, 161 और 187 को लागू किया जाए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्मेलन संख्या 01 के अनुसार, एक दिन में आठ घंटे (एक सप्ताह में 48 घंटे) काम करने के प्रावधान को कानून में परिवर्तन किए गए हैं, जो आईएलओ सम्मेलन का उल्लंघन है।

इसके अलावा, औपचारिक रोजगारों को समाप्त कर अनौपचारिक रोजगार के नए तरीके सृजित किए जा रहे हैं, जो आईएलओ सम्मेलन 204 का उल्लंघन है। इसे तुरंत रोकें और निश्चित अवधि के रोजगार को समाप्त करके अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर परिवर्तन करें।

सरकार को तत्काल भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का आयोजन करना चाहिए और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा करके मुद्दों का समाधान करना चाहिए। ऐसा न होने पर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, एसकेएम और औद्योगिक संघ तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि उनकी वास्तविक और वैध मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

हम, दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघ और संगठन, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया भारत सरकार को भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का तत्काल आयोजन करने का निर्देश दें ताकि भारत के श्रमिक वर्ग के सभी गंभीर मुद्दों का समाधान किया जा सके।

धन्यवाद, **सादर**

भवदीय: इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच

नासिक, महाराष्ट्र में 12 फरवरी की हड़ताल का विशाल जूलस का दृश्य

जवाबदेह व्यापारिक आचरण घोषणा का रोड मैप जारी

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों के श्रम क्षेत्र के मुद्दे, उत्कृष्ठ कार्य से जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन, खासकर श्रम अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों का सम्मान एवं कार्यान्वयन हेतु स्वेच्छा से घोषित स्वैच्छिक व्यापारिक आचरण के मुद्दे पर लंबे विमर्श के बाद बनी त्रिपक्षीय सहमति का रोडमैप 18 फरवरी को जारी किया गया। आईएलओ द्वारा आयोजित इस समारोह में श्रम एवं नियोजक पक्ष की उपस्थिति में आईएलओ महानिदेशक को रोड मैप सौंपा गया। उसी वैश्विक स्वैच्छिक घोषणा की रोशनी में भारत सरकार का कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा 2018 से ही जारी **"उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा–निर्देश"** जिसमें व्यवसायों को ईमानदारी के साथ नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित करने सहित 9 निर्देश शामिल हैं के कार्यान्वयन पर रोडमैप हेतु सम्मति पत्र जारी किया गया। हालांकि यह बताना प्रासंगिक होगा कि विश्व व्यापार में कथित रूप से स्वीकृत उत्तरदायित्व के बाद भी उन दायित्वों की खुली अवहेलना एवं उसके नियंत्रण का असरदार तंत्र का अभाव यह छद्मी और दिखावे का शो पीस जैसा है। पूंजीवादी छद्मी आचरण, उत्कृष्ठ श्रम एवं अनुबंध दिशा निर्देश का तमगा लटकाये, उसके खुले उल्लंघन से भी कोई परहेज नहीं करता है। ऐसी वैश्विक स्थिति में सिर्फ आश्वासनों एवं प्रस्तावों के साथ उसके व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग एवं श्रम अधिकार रक्षा पर ध्यान केंद्रित रखना ट्रेड यूनियन के समक्ष चुनौती के रूप में पेश है। इन्हीं व्यवहारिक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं श्रम कानूनों तथा आइएलओ का संविधान तक का उल्लंघन का मुद्दा आइएलओ महानिदेशक के समक्ष रखा गया।

18 फरवरी को आइएलओ महानिदेशक से वार्ता में अपना पक्ष रखते एटक उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि एवं केंद्रीय श्रम संगठनों के अन्य नेतागण

18 फरवरी को बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों द्वारा घोषित एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की रोशनी में जवाबदेह व्यापारिक आचरण की घोषणा का कार्यान्वयन पर त्रिपक्षीय सहमति से बने रोड मैप जारी करने के कार्यक्रम को संबोधित करते आइएलओ महानिदेशक गिलबर्ट एफ. हौंगबो एवं बगल में बैठी आइएलओ भारत कार्यालय की निदेशिका मिशिको मियामोटो एवं बैठक श्रम संघ एवं नियोजक प्रतिनिधि एवं आइएलओ ऑफिशियल

आइएलओ महानिदेशक के साथ समूह फोटो में भारत के ट्रेड यूनियन नेता, आइएलओ ऑफिशियल एवं नियोजक प्रतिनिधि

12 फरवरी की हड़ताल पर गुजरात से जी.एस. पिल्लई की रिपोर्ट

गुजरात में श्रमिक वर्ग ने चार श्रम संहिताओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण बैंक और बीमा क्षेत्र पूरी तरह ठप्प रहे।

अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के औद्योगिक क्षेत्रों में विशाल रैलियां और धरने हुए। अहमदाबाद में रैली के बाद श्रमिकों ने शहर के मध्य में मानव श्रृंखला बनाई। सूरत में भी विरोध प्रदर्शन हुए और श्रमिकों की भागीदारी बहुत अच्छी रही। आंदोलन में एआईटीयूसी सबसे आगे रहा।

वडोदरा में संयुक्त कामदार समिति और किसान सभा द्वारा संयुक्त रूप से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। एआईटीयूसी ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अधिकांश प्रतिभागी एआईटीयूसी के थे। रैली एक किलोमीटर

सूरत में प्रतिरोध कार्यक्रम

देलसार गुजरात में रैली का दृश्य

अरवल्ली

राजकोट अहमदाबाद

से अधिक लंबी थी, जिसके कारण शहर का यातायात ठप्प हो गया। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व वाले बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाम की रैली में भाग लिया।

अन्य जिलों से भी रिपोर्टें उत्साहजनक हैं। राजकोट, भावनगर, साबरकट्ठा और भरूच जैसे अधिकांश जिलों में श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुल मिलाकर, गुजरात में श्रमिक वर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम कानूनों के प्रति असहमति दिखाई एवं प्रतिरोध कार्यक्रम में भाग लिया।

उत्तराखंड में श्रमिक आंदोलन में

हरिद्वार उत्तराखंड

उधम सिंह नगर, उत्तराखंड

गोवा में श्रम संहिता के विरुद्ध हड़ताल एवं प्रतिरोध

गोवा के पंजी में 12 फरवरी की हड़ताल एवं श्रम संहिताओं को निरस्त करने के मुद्दे पर प्रतिरोध कार्यक्रम एवं सभा रैली को एटक राज्य महासचिव कॉमरेड क्रिस्टोफर फोन्सेका, प्रसन्ना उतागी, आरडी मंगेशकर और सुहास नाइक सहित विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने रैली को संबोधित किया। रैली में चारों श्रम संहिता के को रद्द करने और राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन द्वारा उठाई गई अन्य मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। गोवा सरकार ने विशेष रूप से परिवहन उद्योग के लिए ईएसएमए लागू किया था। श्रमिकों ने ईएसएमए (एस्मा) का उल्लंघन करते हुए, गोवा सरकार के उपक्रम केटीसीएल के ठेकेदारों के अधीन संचालित इलेक्ट्रिक बसों के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

केटीसी बस स्टैंड से आजाद मैदान तक निकाला गया विशाल जुलूस रंगारंग था और पणजी की सड़कों पर जोरदार नारों की गूंज सुनाई दी।

देशभर में ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल में शामिल हुए

ज्ञापन सौंपते ग्रामीण डाक सेवक

राजस्थान के मजदूर विरोध प्रदर्शन पर

भवानी राजस्थान

जयपुर राजस्थान

कोयला क्षेत्र और तांबा क्षेत्र में हड़ताल की रिपोर्ट

तांबा क्षेत्र

हड़ताल एवं विरोध एक्शन में हिमाचल प्रदेश

सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

रामपुर माजरी, हिमाचल प्रदेश

नालागढ़, हिमाचल प्रदेश

जम्मू–कश्मीर में 12 फरवरी की हड़ताल के बाद राज्यव्यापी जबरदस्त विरोध कार्यक्रम

जेकेसीसीटीयू ने जम्मू और कश्मीर भर में विरोध प्रदर्शन किए और कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में हड़ताल की। इस दौरान चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, बिजली संशोधन बिल को वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सभी अस्थायी कर्मचारियों जैसे कैजुअल, अनुबंध, आंगनवाड़ी, वीएएसएच, मिड डे मील और अन्य कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण और वेतन नीति, रिक्त पदों को भरने, 18 प्रतिशत फ्रीज डीए जारी करने, जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक, ट्रेड यूनियन और श्रम अधिकारों की पूर्ण बहाली आदि की मांग की गई। हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। जेकेसीसीटीयू के प्रमुख नेताओं ने प्रेस क्लब जम्मू, इलेक्ट्रिसिटी काम्प्लेक्स बेमिना श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग और अन्य स्थानों पर इन रैलियों को संबोधित किया।

कठुआ

प्रेस क्लब, जम्मू में

पंजाब में असरदार हड़ताल एवं श्रमिकों का प्रतिरोध

12 फरवरी को पंजाब राज्य पूरी तरह ठप्प हो गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों और किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया गया। लगभग 80,000 बसें सड़कों से हट गईं, जिससे यह उस दिन के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बन गया। परिवहन संघों ने अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हड़ताल के बाद सभा में शामिल लोग

पंजाब के पटियाला में हड़ताल रैली

हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प के साथ सभा

पंजाब में संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते एटक राज्य महासचिव निर्मल सिंह धालीवाल

पंजाब राज्य के ऊर्जा निगम पीएसपीसीएल में असरदार हड़ताल

12 फरवरी को पीएसपीसीएल की नेशनल स्ट्राइक में कर्मचारियों ने काफ़ी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर लगभग 25,000 कर्मचारियों ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 16,000 रेगुलर कर्मचारी और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर शामिल थे, जो पूरे ऑर्गनाइज़ेशन में मज़बूत सामूहिक भागीदारी को दिखाता है। कामरेड गुरप्रीत सिंह गंडीविंड प्रेसिडेंट पीएसपीबी एम्पलाइज फेडरेशन एटक, पंजाब ने एफी के व्हाट्सएप पर जानकारी देते हुए बताया है कि पंजाब के बिजली मजदूर हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है।

बिहार में 12 फरवरी की आम हड़ताल पूरी तरह सफल रही

बिहार में विभिन्न यूनियनों ने अपने–अपने कार्यालयों से जुलूस निकाले। राजधानी पटना में जुलूस डाक बंगला चौक तक पहुंचा और रास्ते में बैंकों, दुकानों और स्ट्रीट वेंडरों को बंद करा दिया। बिहार एआईटीयूसी के बैनर तले पटना जनशक्ति भवन परिसर से एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली एक विशाल जुलूस के रूप में डाक बंगला पहुंची और पीएनबी, इंडियन

समस्तीपुर बिहार

बैंक, एलआईसी और एक्सिस बैंक सहित कई प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया। डाक बंगला चौक पर दोपहर 1 बजे शुरू हुई और लगातार शाम तक जारी रही। बैठक में एआईटीयूसी, सीआईटीयू और सेवा सहित विभिन्न सार्वजनिक संगठनों और केंद्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई।

बिहार एआईटीयूसी के महासचिव अजय कुमार, अध्यक्ष गजनफर नवाब, उपाध्यक्ष डीपी यादव, सचिव कौशलेंद्र वर्मा और सचिव प्रमोद नंदन के साथ–साथ विभिन्न यूनियनों के नेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हरिदेव ठाकुर, विश्वजीत कुमार और अमर नाथ सहित कई कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। सभा में, नेताओं ने डाक बंगले को घेर लिया और श्रमिकों के अधिकारों की मांग करते हुए, श्रम संहिता का विरोध करते हुए, पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने और ठेका प्रणाली को समाप्त करने की मांग की।

राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए समस्तीपुर स्टेशन चौक गाँधी स्मारक से एक जुलुस निकला जिसका नेतृत्व एटक जिला महासचिव रामबिलास शर्मा, सीटू के महासचिव मनोज कुमार गुप्ता, एटक के जीवछ पासवान, किसान सभा के राज्य महासचिव रामचन्द्र महतो आदि कर रहे थे।

जुलुस समस्तीपुर मार्केट होते हुए समाहरणालय कार्यालय पर पहुंचकर नारा लगाते हुए एक सभा की गई जिसकी अध्यक्षता एटक के अध्यक्ष सुधीर कुमार देव, सीटू के रघुनाथ राय एवं जीवछ पासवान ने किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि चार लेबर कोड बेलगाम शोषण बढ़ाने का नया हथियार भारत सरकार ने लागू कर दिया है। तमाम विरोधों के बावजूद भारत सरकार ने उद्योगपतियों–पूंजीपतियों के हित में मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं को संविधान की अवहेलना करते हुए लागू कर दिया है। इन चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन हमारे देश के मेहनतकश आवाम को पुनः गुलामी की जागीरदारी व्यवस्था में ले जाने का कदम है। यह सुरक्षा, स्वास्थ्य की अनदेखी करने वाला लेबर कोड है।

संयुक्त ट्रेड सभा को रामचन्द्र महतो, रामबिलास शर्मा, मनोज कुमार गुप्ता, जीवछ पासवान, अनिल प्रसाद कुमार आदि ने संबोधित किया।

एनएमडीसी कार्यकर्ता हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

खनन क्षेत्र की देश की नवरत्ना कंपनी एनएमडीसी के देशभर के खदानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रम संहिता निरस्त करने की मांगों पर आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में प्रतिरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया

एनडीएमसी छत्तीसगढ़

एनडीएमसी नगरनार स्टील प्लांट

एनडीएमसी कर्नाटका डोनीमलाई

एनडीएमसी किरदुंल लोह अयस्क खदान

उत्तर प्रदेश में राज्य भर में कार्यकर्ता सक्रिय रहे

इटावा

कानपुर

झांसी

इलाहाबाद

12 फरवरी को मणिपुर में देशव्यापी आम हडताल असरदार

इंफाल: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले, मणिपुर में एटक, सीटू, इंटक, टीयूसीसी, यूटीयूसी, किसान संगठन ऑफ मणिपुर (केओएम), मणिपुर लौमी लुप, मणिपुर लौमी मारुप तथा इंडिपेडेंट फेडरेशन और एसोसिएशन ने 12 फरवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया, जिसका मणिपुर में व्यापक असर देखा गया। हड़ताल का प्रभाव मुख्य रूप से मणिपुर के घाटी क्षेत्र में महसूस किया गया। परिवहन के अधिकांश साधन, बाजार, शैक्षणिक संस्थान,

राज्य एवं केंद्रीय सरकार के कार्यालय प्रभावित रहे। बैंक, एलआईसी कार्यालय, डाक सेवाएं, बीएसएनएल कार्यालय भी प्रभावित हुए क्योंकि इन संस्थानों के कर्मचारियो ने हड़ताल का समर्थन किया। इंफाल शहर के केंद्र में, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन्स ऑफ मणिपुर (सीओबीटीयूएम) ने इरावत भवन, इंफाल से बी. टी. पार्क तक एक विशाल रैली का नेतृत्व किया, जिसमे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड–डे मील कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर्स, एटक से संबद्ध असंगठित अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, राज्य सरकार के कर्मचारी, मणिपुर लौमी लुप आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से गुजरा, लेकिन बी टी. पार्क पर बड़ी संख्या में बैरिकेड्स के कारण उसे रोक दिया गया।

सीओबीटीयूएम के चेयरमैन एल सोतिनकुमार ने सभा को संबोधित करते किया। सभा में सीटू के महासचिव क्षशांता, टीयूसीसी के महासचिव ख ग्यानेश्वर, यूटीयूसी के के. मनोरंजन, एटक मणिपुर के कार्यकारी अध्यक्ष एस याइमा, ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष एम जॉयकुमार, कॉन्फेडरेशन के महासचिव डॉ. ई. गिरानी सिंह, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थ. अनिता देवी, ख. रोनेल, एटक के राज्य सचिव ख. ब्रोजेंद्रो, थ. सुरेश सिंह तथा राज्य कार्यकारिणी सदस्य ई. टॉम्बा सहित बड़ी संख्या में स्कीम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इंफाल वेस्ट डी.सी कार्यालय के सामने तथा थौबल में भी समानांतर प्रदर्शन और रैली हुई। थौबल में आशा, आंगनवाड़ी एवं मिड–डे मील कार्यकर्ता, पेंशनभोगी, निर्माण मजदूर एवं स्ट्रीट वेंडर्स ने धरना–प्रदर्शन किया। थौबल जिला एटक के अध्यक्ष यू राजमोहन, जिला सचिव एल. बिहारी, ऑल मणिपुर आशा वर्कर्स की अध्यक्ष समीमा बेगम आदि ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। थौबल अथोकपम से थौबल जिला डी.सी. कार्यालय तक एक विशाल रैली भी निकाली गई। बिष्णुपुर में वार्ड नंबर 5 में बड़ी रैली और प्रदर्शन हुआ, जिसमें बिष्णुपुर जिला एटक के अध्यक्ष एस. नीलकमल, उपाध्यक्ष एम. मांगी सिंह, जिला सचिव याइस्कुल देवी तथा एटक मणिपुर के राज्य सचिव ख श्यामनगर ने भाग लिया।

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन ने अपने–अपने संस्थानों और कार्यालयों जैसे जॉनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल, निदेशालय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आदि के सामने प्रदर्शन किया। कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष एम. जॉयकुमार, महासचिव डॉ ई. गिरानी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थ. अनिता देवी तथा रोनेल ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों की चार्टर प्रस्तुत करते हुए भाषण दिए।

हड़ताल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्यीय सड़कें तथा जिला सड़कों

पर वाहन पूरी तरह बंद रहे। यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी।

आसाम में हड़ताल एवं असरदार बंद

असम से रामेन दास रिपोर्ट कर बताया है कि आसाम राज्य में बंद जैसी स्थिति बनी हुई है। लाइन बस, सिटी बस, नाइट और डे सुपर, शेयर टैक्सी, ऑटो, ओला, उबर, रैपिडो और अन्य निजी परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप्प हैं। सभी रिफाइनरियां, तेल कंपनियां, ओएनजीसी, तेल विपणन कंपनियां हड़ताल पर हैं। कुछ बाजार भी बंद हैं। असंगठित श्रमिक, योजना कर्मचारी और निजी उद्योग भी हड़ताल पर हैं। बैंक, बीमा, एलआईसी, बिजली, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं।

मार्च के पूर्व सभा को संबोधित करते एटक उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि एवं सतीश कुमार एटक राज्य महासचिव (ऊपर) एवं 25 फरवरी को दिल्ली के चांदनी चौक से स्ट्रीट वेंडर्स का एटक नेतृत्व में निकला विरोध मार्च

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर तेलंगाना में आम हड़ताल सफल

रामनरसिम्हा राव

सिंगरैनी कोल फील्ड तेलंगाना में हड़ताल एवं प्रतिरोध कार्यक्रम

तेलंगाना के सिंगरेनी कोलफील्ड लिमिटेड में 12 फरवरी की कोयला मजदूरों की हड़ताल का जबरदस्त प्रभाव रहा हड़ताल के बाद बैठे नेताओं को पुलिस हस्तक्षेप कर हटाने की कोशिश किया हड़ताल बहुत सफल रहा

सिंगरैनी कोयला क्षेत्र में हड़ताल के बाद विरोध प्रदर्शन

हैदराबाद, 12 फरवरी, 2026: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर तेलंगाना में आम हड़ताल पूरी तरह सफल रही। संयुक्त किसान मोर्चा, विभिन्न ट्रेड यूनियनों, किसान फेडरेशनों और संघों ने व्यापक भागीदारी की। हड़तालकर्ताओं ने राजधानी हैदराबाद में भव्य जुलूस निकालकर राज्य सरकार से चारों नई श्रम संहिताओं को लागू न करने की मांग की।

आरटीसी कल्याण मंडपम, बाघलिंगंपल्ली से इंदिरा पार्क (धरना चौक) तक निकाले गए जुलूस में हजारों मजदूर, कर्मचारी, किसान और गिग वर्कर्स शामिल हुए। वामपंथी दलों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर श्रम संहिताओं को रोकने की मांग करते हुए हड़ताल को समर्थन दिया।

सभा को संबोधित करते हुए टीपीसीसी के राज्य अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कम्युनिस्टों और कांग्रेस को संयुक्त संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने श्रम संहिताओं को मजदूर–विरोधी बताते हुए इनके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।

एटक के राज्य महासचिव एस बलराज ने चेतावनी दी कि देश में पूंजीवाद बढ़ने से शोषण और गरीबी भी बढ़ेगी। एचएमएस के रेब्बा रामाराव ने चारों श्रम संहिताओं को तुरंत वापस लेने की मांग की। सीटू के पलाडुगु भास्कर राव ने बताया कि केवल हैदराबाद में ही 5,000 उद्योग बंद हो चुके हैं, जिससे 200 करोड़ रुपये के उत्पादन पर रोक लग गई है।

टीयूसीआई की एस.एल. पद्मा ने कहा कि श्रम संहिताओं के आने से पहले रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे थे। आईएफटीयू के एम श्रीनिवास ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरह रद्द करने की मांग की। बीआरटीयू के वेमुला मरैया ने इन संहिताओं को मजदूरों के सिर पर लटकी "डोमिसाइल तलवार" करार दिया। एटक के भारत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिकी सामान को भारत में बिना टैक्स के बेचने का पूरा अवसर दे दिया है। राज्य संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पास्या पद्मा और टी.सागर ने मोदी सरकार की मजदूर, किसान–विरोधी नीतियों की निंदा की।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी. हनुमंत राव ने आश्वासन दिया कि ऑटो ड्राइवरों की समस्याएं मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई जाएंगी। सभा की अध्यक्षता एटक के एम. नरसिम्हा और इंटक के आर चंद्रशेखर ने की।

सभा में कांग्रेस विधायक नवीन यादव, कमाटम यदगिरी, प्रेमपावनी, करुणा कुमारी (एटक), मोगुल्ला राजी रेड्डी (इंटक), वेंकटेश एवं कुमारस्वामी (सीटू) समेत कई नेता मौजूद रहे। गिग वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर, बैंक–बीमा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आदिवासी यूनियन और सामाजिक संगठनों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

वामपंथी दलों का अलग जुलूस और समर्थन

भाकपा, भाकपा (मा), भाकपा (माले), न्यू डेमोक्रेसी, मास लाइन, एआईएफबी और एसयूसीआई ने हड़ताल के समर्थन में अलग जुलूस निकाला। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव पल्ला वेंकट रेड्डी ने बताया कि पूरे देश में 30 करोड़ मजदूर, कर्मचारी और मेहनतकश वर्गों ने हड़ताल में भाग लिया। भाकपा (मा) के राज्य सचिव जॉन वेस्ली और भाकपा के राज्य सचिव कुनमनेनी संबशिव राव ने भी श्रम संहिताओं को वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। हड़ताल के दौरान राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों, परिवहन और सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा। आयोजकों ने इसे मजदूर एकता का बड़ा प्रदर्शन बताया।

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने भारत सरकार को हिला दिया है : हरिद्वार सिंह

राजेश शर्मा, महासचिव ट्रेड यूनियन कौन्सिल– बिलासपुर से रिपोर्ट

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश के मेहनतकश लेबर कोड सहित अन्य आर्थिक सुधारों के विरोध में 12 फरवरी 2026 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। मेहनतकशों का मानना है कि आजादी के पूर्व असंख्य त्याग एवं कुर्बानियों से प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारों को केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को अध्यादेश के द्वारा चार श्रम संहिताओं में बदल दिया है, यह श्रम संहिताएं मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सीधे

बिलासपुर में सभा को संबोधित करते हरिद्वार सिंह एवं अध्यक्षता करते पवन शर्मा एवं बैठे नेतागण

कुठाराघात है। यह संहिता नियोजक को श्रमिकों को कभी भी काम से निकालने का अधिकार प्रदान करता है। सरकारी उपक्रमों का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। बैंक, बीमा, डाक, रेल एवं कोयला सहित विभिन्न संगठन आज निजीकरण की मार से बदहाल हैं स अमेरिका के साथ में हाल ही में वह कृषि समझौता किसानों के हितों की विरुद्ध है। इसी कड़ी में बिलासपुर की समस्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं ट्रेड यूनियन कौन्सिल से सम्बद्ध समस्त संगठनों द्वारा नेहरू चौक पर प्रातः 11:00 बजे से धरना, प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उक्त विचार रखे। हड़ताल में साथी हरिद्वार सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष एटक ने विस्तार से चार लेबर कोड के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मज़दूर, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के नेता, मज़दूरों का वेतन, सामाजिक सुरक्षा, हड़ताल करने के अधिकार सभी नये लेबर कोड में समप्त कर दिये जायेंगे नये क़ानून से पूंजी पति मजदूरी के शोषण का नंगा नाच करेंगे और मज़दूरों को गुलाम बनाकर रखेंगे सभा को रवि बनर्जी पूर्व जिला सचिव सीटू, साथी नंद कश्यप किसान नेता, सुखऊ निषादजिला सचिव सीटू, राजेश शर्मा महासचिव टी यू सी, जनक लाल ठाकुर छ मु मो, तुहीन, सौरा यादव, सियाराम कौशिक पूर्व विधायक, महेश दुबे, दिलीप पाटिल, नारायण चौधरी, बल्लू दुबे, किशोर शर्मा, जी आर चंद्रा, रवि श्रीवास,एस के जैन, प्रमोद नायक, पी आर यादव, मनोज मिरी, अलका गुप्ता, पवन शर्मा एवं राजेश पाण्डेय सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभा की अध्यक्षता साथी पवन शर्मा एवं संचालन ट्रेड यूनियन कौन्सिल के महासचिव राजेश शर्मा ने किया।

महामहिम राष्ट्रपति नाम से ज्ञापन देकर इन श्रम संहिताओं को वापस लेने सहित श्रमिकों के अन्य मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

12 फरवरी, 2026 को आयोजित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का राजधानी भोपाल पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बैंकों, बीमा कार्यालयों और विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा। हजारों हड़ताली कर्मचारी भोपाल स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स शाखा के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जोशीला, क्रांतिकारी और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसके बाद, प्रेस कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में 2,000 से अधिक मजदूरों, श्रमिकों और बैंक कर्मचारियों की एक विशाल रैली निकाली गई।

बैंक कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक बैनरों, लाल झंडों और बैनरों से सजी यह रैली एक रंगीन, ऊर्जावान और जुझारू माहौल का प्रतीक बन गई। रैली के बाद आयोजित बैठक में बैंक यूनियनों के अधिकारियों के साथ–साथ केंद्रीय श्रम संगठनों और अन्य ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने श्रमिक एकता, अधिकारों की रक्षा और जनविरोधी नीतियों के

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

भारत में 12 फरवरी की हड़ताल के प्रति पाकिस्तान का ट्रेड यूनियन एपीएफयूटीयू का एकजुटता संदेश

ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड ट्रेड यूनियंस (एपीएफयूटीयू) भारत के उन सभी श्रमिकों के साथ दृढ़ और अटूट एकजुटता व्यक्त करता है, जो गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को दस भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों द्वारा बुलाई गई ऐतिहासिक राष्ट्रीय आम हड़ताल में भाग ले रहे हैं।

संघर्ष के इस महत्वपूर्ण दिन पर, हम भारत के श्रमिक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिनमें औद्योगिक श्रमिक, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, शिक्षा और स्वास्थ्यकर्मी, किसान, कृषि श्रमिक और कृषि मजदूर शामिल हैं, जो अपने मौलिक ट्रेड यूनियन और सामाजिक अधिकारों की बहादुरी से रक्षा कर रहे हैं।

एपीएफयूटीयू इस सशक्त आंदोलन के माध्यम से उठाई गई न्यायसंगत और वैध मांगों का पूर्ण समर्थन करता है, जिनमें शामिल हैं:

★ श्रमिकों के अधिकारों, ट्रेड यूनियन स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा,

★ नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए श्रमिक–विरोधी श्रम कानूनों का विरोध, जो लंबे समय से चले आ रहे श्रम कानूनों का स्थान लेते हैं और संगठन की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकार को कमजोर करते हैं।

★ तथाकथित **"श्रम शक्ति नीति, 2025"** के तहत इन श्रमिक–विरोधी श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग।

★ घरेलू और विदेशी पूंजी के लाभ के लिए रणनीतिक सार्वजनिक उद्यमों और आवश्यक सेवाओं, जिनमें रेलवे, बंदरगाह, कोयला, तेल, इस्पात, रक्षा, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, डाक सेवाएं, ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, के आक्रामक निजीकरण और बिक्री का विरोधय ' शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण के विरुद्ध संघर्ष।

★ गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित कार्य प्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना।

भारत में श्रमिकों के अधिकारों पर हमला नवउदारवादी और पूंजीवादी ताकतों द्वारा संगठित श्रमिक वर्ग के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक वैश्विक आक्रमण का हिस्सा है। दक्षिण एशिया से लेकर दुनिया के हर कोने तक, श्रमिक निजीकरण, विनियमन में ढील, श्रमिक संघों को कुचलने और श्रम सुरक्षा में कमी जैसी समान नीतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए भारतीय श्रमिकों का संघर्ष अलग–थलग नहीं है, बल्कि यह पूरे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का संघर्ष है।

एपीएफयूटीयू इस बात की पुष्टि करता है कि अंतरराष्ट्रीय एकजुटता केवल एक नारा नहीं, बल्कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक मूलभूत सिद्धांत है। सीमाओं के पार श्रमिकों की एकता शोषण और अन्याय के खिलाफ हमारी सामूहिक शक्ति को मजबूत करती है।

हम भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के साहस, दृढ़ संकल्प और एकता को सलाम करते हैं। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक वर्ग की एकजुटता जिंदाबाद!

पाकिस्तान और भारत के श्रमिकों की एकता जिंदाबाद!

सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष जिंदाबाद!

एकजुटता के साथ,

श्री जिया सैयद, महासचिव

पिछले पृष्ठ का शेष: **मध्य प्रदेश**

खिलाफ संघर्ष को और तेज करने का आह्वान किया। रैली, प्रदर्शन और बैठक में बैंक कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। युवा साथियों और महिला साथियों की सक्रिय और प्रभावशाली उपस्थिति ने आंदोलन को नई ऊर्जा और सशक्त संदेश प्रदान किया। भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से इस अवसर की कुछ झलकियाँ।

भोपाल में बी के शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते बैंक कर्मी

ग्वालियर

महिला बैंक कर्मियों ने भी मोर्चा संभाला

अखबारों की नजर में 12 फरवरी की हड़ताल

वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में ट्रेड यूनियन सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित

वीवी गिरि श्रम संस्थान में व्याख्यान देते एटक उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि एवं प्रतिभागी

भारत सरकार द्वारा संचालित वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में ट्रेड यूनियन सशक्तिकरण एवं जेंडर समानता विषय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न प्रशिक्षकों ने व्याख्यान दिया।

श्रम, श्रमिक और उनके संगठन ट्रेड यूनियन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,श्रम अधिकारों, श्रम कानूनों और श्रम संगठन की महत्ता सहित मजदूर क्षेत्र में जेंडर सामानता सहित कल्याणकारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक कानूनी प्रावधानों, श्रमिक विषयों पर अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक, राष्ट्रीय श्रम कानून एवं उसके इतिहास पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 19 फरवरी को **ट्रेड यूनियन सशक्तिकरण** विषय पर दो लेक्चर में एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि ने वीवी गिरी श्रम संस्थान की स्थापना, इसके मूल उद्देश्यों, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरि का श्रम क्षेत्र एवं ट्रेड यूनियन में उनके योगदान की जानकारी से विषय की शुरुआत करते हुए ट्रेड यूनियन को सशक्त बनाने एवं समाज के विकास में श्रम का महत्व की चर्चा के साथ श्रम को ही विकास और मुल्य सृजन का आधार बताया।

श्रम जगत और ट्रेड यूनियन के अब्रिभाव का ऐतिहासिक संदर्भ में श्रम की महत्ता, श्रमिक और श्रम संगठनों की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, राष्ट्रीय श्रम कानून और श्रम संगठन निर्माण के रोज–रोज के व्यावहारिक मुद्दों पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण शिविर में पांच राज्यों के 21 ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार की चार सहायक श्रम आयुक्तों ने भी भाग लिया। व्याख्यान के बाद विमर्श और प्रश्न उत्तर में प्रतिभागियों ने व्याख्यान को बहुत उपयोगी एवं सराहनीय और ज्ञानवर्धक और फायदेमंद बताया। वीवी गिरि एनएलआई की फैकल्टी सदस्य संचारी मुखर्जी ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का परिचय के साथ प्रशिक्षण आयोजन के विषय पर प्रशिक्षण शुरू कराया।

राजस्थान रोडवेज में शोषण के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों का हल्लाबोल

जयपुरः राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन (एटक) के आह्वान पर सोमवार को प्रदेशभर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी ज्वलंत मांगों और विभाग में व्याप्त कथित उत्पीड़न के विरोध में दो दिवसीय राज्यव्यापी धरना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश की सभी केंद्रीय कार्यशालाओं और आगार इकाइयों पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहेगा।

यूनियन की विभिन्न शाखाओं ने मुख्य प्रबंधकों के माध्यम से रोडवेज प्रबंध निदेशक को 8 सूत्रीय मांग पत्र भिजवाया है। जयपुर में आयोजित संयुक्त धरने को प्रदेश अध्यक्ष एम.एल. यादव, महासचिव धर्मवीर चौधरी और उपमहासचिव संजय चौधरी सहित अन्य श्रमिक नेताओं ने संबोधित करते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया।

एम.एल. यादव ने बताया कि आंदोलन की मुख्य मांग में एक मांग यह थी कि यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 2500 नई बसों की खरीद की जाए और खाली पड़े 12 हजार से अधिक पदों पर तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। साथ ही आर्टिजन ग्रेड प्रथम की मूल ग्रेड पे 2400 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये की जाए। इसके अलावा चालकों–परिचालकों से नियमों के विरुद्ध ली जा रही 12 से 15 घंटे की ड्यूटी बंद कर 'क्रू चेंज' व्यवस्था लागू की जाए और गत तीन महीनों से रोके गए वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही स्थायी आदेश, 1965 से शासित महिला कर्मचारियों को भी 'चाइल्ड केयर लीव' (संतान देखभाल अवकाश) की सुविधा मिले।

धरने में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन ने जून 2025 से जनवरी 2026 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के परिलाभों का अविलंब भुगतान करने और 70 से 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनर्स को अतिरिक्त भत्ता देने की मांग की है।

आउटसोर्स चौकीदारों को अस्थायी दर्जे में रखना अनुचित श्रम प्रथा : पंजाब हाईकोर्ट

पंजाब में पिछले कई वर्षों से आउटसोर्स के तहत लगे चौकीदारों की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रेगुलर करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आउटसोर्सिंग चौकीदारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को उन्हें नियमित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट कहा कि लंबे समय तक निरंतर सेवाएं लेने के बावजूद कर्मचारियों को अस्थायी दर्जे में रखना अनुचित श्रम प्रथा है जो कि संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने मानक सिंह व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। (भास्कर न्यूज –चंडीगढ़)

कृषि क्षेत्र में कागज पर सफल योजनाएँ, जमीन पर नाकाम

महेश राठी

भारतीय कृषि केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सेक्टर अथवा जीडीपी की एक आर्थिक गतिविधि भर नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक संरचना, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण जीवन का ऐसा आधार है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आज भी भारत की अधिकतर आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद, कृषि क्षेत्र अनेक संरचनात्मक बाधाओं से घिरा हुआ है जिनमें बजटीय आवंटन का पूर्ण उपयोग न हो पाना, तकनीकी रोडमैप का अभाव, बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवधान, और व्यापक और सुचारू कृषि–इंफ्रास्ट्रेक्चर अवसंरचना की कमी प्रमुख हैं।

बजटीय आवंटन बनाम वास्तविक व्यय: नीति और क्रियान्वयन का अंतर: भारत में हर वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाता है। परंतु अक्सर "आउटले" (घोषित राशि) और "एक्सपेंडिचर" (वास्तविक व्यय) के बीच अंतर देखा जाता है। इस बजट के व्यय न हो पाने के कई कारण हैं।

कृषि बजट का आंकड़ों के साथ विश्लेषण: केंद्रीय कृषि बजट (कुल आवंटन) भारत सरकार का कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय हर वर्ष बजट में बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है, लेकिन वास्तविक खर्च और आवंटन में अंतर अक्सर दिखाई देता है।

2023–24 में सीधी तुलना: रिवाइज्ड एस्टीमेट (आरई) 2023–24: लगभग 1,26,666 करोड़ रू, बजट एस्टीमेट (बीई) 2024–25: लगभग 1,32,470 करोड़ रू यह दर्शाता है कि बजट एस्टीमेट (बीई) लगभग 5 प्रतिशत अधिक रखा गया, पर वास्तविक खर्च (आरई) के मुकाबले बीई निरंतर बढ़ रहा है। इसके अलावा, 2025–26 के लिए भी कृषि मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 1,37,757 करोड़ रखा गया था, जो आरई 2024–25 से बढ़ा हुआ था।

कृषि में खर्च को अधिक दिखाने बताने के लिए बजट आवंटन मे लगातार बढ़ोतरी हो रही, पर कुछ वर्षों में रिवाइज्ड खर्च से ज्यादा रहा है। जिससे दिखता है कि रियल खर्च बजट अनुमानित खर्च की अपेक्षा कम रहा है। यह अंतर नीति–निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीई केवल लक्ष्य निर्धारित करता है, पर वास्तविक व्यय ही क्रियान्वयन–क्षमता जाहिर होती है। इसके अलावा सरकार की वैयक्तिक योजनाओं में भी कुछ ऐसा ही अंतर पाया गया है।

नीचे कुछ प्रमुख योजनाओं का साल–दर–साल डेटा दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2022–23 में बजट में आवंटन हुआ 15,500 करोड़ रू परंतु वास्तविक खर्च था 12,376 करोड़ रू. यह बजट आवंटन और वास्तविक खर्च में लगभग 20% कमी को दर्शाता है। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि भारत सरकार के बजट अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्च में अंतर पाया जाता रहा है। असल में, यह योजना के क्रियान्वयन और क्लेम–राज्य–योगदान पर निर्भर करता है।

सरकार बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्शाती है लेकिन इन आवंटनों का वास्तविक खर्च हमेशा इसका समानुपाती रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। इस आवंटन और खर्च के अंतर का विश्लेषण बताता है कि केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय लगभग 85–95 प्रतिशत तक ही बजट का वास्तविक व्यय कर पाता है यानी लगभग 5–15 प्रतिशत का अंतर बीई और आरई में नियमित रूप से दिखता है। यह फर्क केवल कम खर्च होना नहीं दर्शाता बल्कि यह संकेत देता है कि योजनाओं/प्रोजेक्ट्स की पूर्ति में समय–सीमा की देरी आती है, केंद्र और राज्यों के बीच फंड मुहैया कराने/मैनेजमेंट में व्यवधान रहता है, पुरानी योजनाएँ अगले वित्त वर्ष मे ं शिफ्ट हो जाती हैं। इसलिए, केवल बीई को देखकर व्यवस्था का स्वास्थ्य समझना और सरकार के विकास के दावों को मान लेना कठिन है।

राज्य–स्तर पर कई बार यह अंतर अत्यधिक गंभीर दिखाई पड़ता है। उदाहरण के रूप में, राज्य कृषि विभागों में एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में 2025–26 के दौरान कृषि विभाग का देखें। जिसने उपलब्ध अथवा तय बजट का 45 प्रतिशत तक ही खर्च किया। जबकि बीज पार्क और पीएम–कुसुम योजनाओं के लिए आवंटित राशि का कोई खर्च ही नही हुआ। यह राज्य–स्तर पर भी बजट आवंटन और उपयोगिता के अंतर की वास्तविकता को जाहिर करता है।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय की कमी। कई योजनाएँ केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं जिनमें राज्यों को भी वित्तीय योगदान देना होता है। कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्य अपनी हिस्सेदारी समय पर नहीं दे पाते। इसके अलावा परियोजना प्रबंधन की सीमाएँ भी ऐसी नतीजे देती हैं। जिला स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की कमी, परियोजना मूल्यांकन की कमजोर व्यवस्था और निगरानी तंत्र का अभाव।

सब्सिडी बनाम पूंजीगत निवेश: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर योजनाओं में व्यय अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन सिंचाई परियोजनाएँ, भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि अनुसंधान जैसे पूंजीगत निवेशों में प्रक्रिया लंबी और जटिल है। इससे परिसंपत्ति निर्माण की गति धीमी होती है, दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि बाधित होती है।

योजनाएँ कागज पर सफल, जमीन पर सीमित: यह समस्या दर्शाती है कि भारत में बजट निर्माण और क्रियान्वयन के बीच संरचनात्मक अंतर है। कृषि में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उत्पादकता बढ़ाने का कोई रोडमैप भी नहीं है। बेशक, भारत में तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं ड्रोन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डिजिटल मंडी आदि। परंतु यह प्रयास समग्र रणनीति का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अक्सर किसान व्यक्तिगत पहल के आधार पर नई प्रौद्योगिकी और तकनीकों के उपयोग की शुरूआत करते हैं। परंतु कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं होने से वे विभिन्न विभागों और उनकी नौकरशाही का शिकार होकर नाकाम हो जाते हैं।

विखंडित डिजिटल पहल ई–नाम का उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण था। परंतु राज्यों के बीच पूर्ण एकीकरण भी अभी अधूरा है। भूमि रिकॉर्ड, मौसम डेटा, फसल बीमा डेटा और बाजार मूल्य अलग–अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। एकीकृत डेटा इकोसिस्टम का अभाव है। इसके अलावा छोटी जोत की भी एक प्रमुख समस्या है। भारत में औसत जोत 2 हेक्टेयर से कम है। हाई–टेक मशीनरी जैसे प्रिसिजन फार्मिंग उपकरण छोटे किसानों के लिए महँगे और अव्यवहार्य हैं। साथ ही अनुसंधान और खेत के बीच भी अंतर साफ बना रहता है। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में विकसित तकनीक का खेतों तक प्रसार धीमा है। विस्तार सेवाएँ कमजोर हैं। हालांकि इन सभी कमियों को एक रणनीतिक योजना से हल किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: यदि दुनिया के कई छोटे देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में किये गये इनोवेशन को देखें तो उक्त देशों में इस क्षेत्र आशातीत सफलता पाई है। जैसे इस्राइल ने जल–संकट के बावजूद ड्रिप सिंचाई से उत्पादकता बढ़ाई, तो वहीं नीदरलैंड ने ग्रीनहाउस तकनीक से सीमित भूमि पर विश्व स्तरीय उत्पादन किया। परंतु सवाल फिर भी वही है कि भारत में ऐसी दीर्घकालिक समन्वित तकनीकी रणनीति का सरासर अभाव है।

बैंकिंग और वित्तीय अवरोध: इसके अलावा यदि कोई व्यक्तिगत स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रयोग की पहल करता भी है तो बैंकिंग और वित्तीय अवरोध उसके आडे आते हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी का आश्वासन बैंकों को देती है, परंतु ऐसी परियोजनाओं के लिए बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली में व्यापक सुधारों और लचीलेपन की जरूरत है। परंतु बैंकिंग का परंपरागत ढ़ांचा, बैंक नौकरशाही और बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ऐसे प्रयासों के लिए एक बड़ी रूकावट बनता है और ऐसे प्रयास फलीभूत होने से बहुत पहले ही दम तोड़ देते हैं।

संस्थागत ऋण की सीमाएँ: किसानों के लिए जारी किये गये किसान क्रेडिट कार्ड योजना व्यापक है, परंतु सीमित ऋण सीमा, ब्याज सब्सिडी प्रक्रिया जटिल, समय पर नवीनीकरण में बाधा कृषि क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव के लिए एक बड़ी बाधा बन

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

***पिछले पृष्ठ का शेष:* कृषि क्षेत्र में कागज पर सफल योजनाएं....**

रही हैं। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड और गिरवी समस्या भी किसानों को समय पर वित्तीय सहायता नहीं मिल पाने का एक कारण है। कई किसानों के पास स्पष्ट भूमि स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं।

एनपीए और जोखिम धारणा: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक बैंक कृषि ऋण को उच्च जोखिम मानते हैं। परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश ऋण कम उपलब्ध हो पाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे सहकारी बैंको ंके भी अपने बैंकिंग संकट है। कई सहकारी बैंक तकनीकी रूप से पिछड़े और वित्तीय रूप से कमजोर हैं। इनमें डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की कमी है। जिसका प्रमुख कारण इन पर अक्सर राजनीतिक व्यक्तियों का प्रभुत्व भी होता है। जिस कारण वो इस बैंकिंग व्यवस्था को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपने हितों को साधने के लिए इन बैंकों में अपारदर्शिता को लगातार बनाये रखता है।

कृषि अवसंरचना का संकट: भंडारण और कोल्ड चेन के आभाव में फल और सब्जियों का बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज असमान रूप से वितरित है। कुछ राज्यों में व्यापक सिंचाई है, जबकि कई क्षेत्र मानसून पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन इस जोखिम को बढ़ाता है। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का नितांत आभाव है। ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। इससे किसान कच्चा उत्पाद बेचने को मजबूर होते हैं, जिससे आय सीमित रहती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्चर की कमी हुई है। रीयल–टाइम बाजार सूचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव तकनीकी परिवर्तन में बाधा है।

कृषि सुधारों का राजनीतिक अर्थशास्त्र: यदि हम मोदी सरकार के कृषि सुधार के दावों का सटीक विशलेषण करें अथवा इन सुधारों का राजनीतिक अर्थशास्त्र समझने का प्रयास करें तो नतीजे निम्न प्रकार होंगे:

सार्वजनिक निवेश की तुलना में सब्सिडी व्यय अधिक: भारतीय कृषि नीति में पिछले एक दशक मे ं एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखती है पूंजीगत सार्वजनिक निवेश की अपेक्षा राजकोषीय सब्सिडी व्यय का हिस्सा अधिक है। यह संरचना अल्पकालिक राहत तो देती है, पर दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि को सीमित कर सकती है।

सब्सिडी व्यय क्या है?

कृषि में प्रमुख सब्सिडियाँ हैं उर्वरक, खाद्य खरीद व बिजली, सिंचाई और आय–समर्थन (जैसे डीबीटी आधारित योजनाएँ)।

उर्वरक सब्सिडी कई वर्षों में 1 .2 लाख करोड़ रुपये के दायरे तक पहुँची। खाद्य सब्सिडी (खरीद, भंडारण, वितरण सहित) 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर रही। आय–समर्थन योजनाएँ (जैसे प्रत्यक्ष नकद अंतरण) भी दसियों हजार करोड़ का वार्षिक व्यय हैं। ये खर्च राजस्व व्यय होते हैं अर्थात् तत्काल राहत मूल्य–समर्थन देते हैं, पर स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते।

सार्वजनिक निवेश क्या है?

सार्वजनिक निवेश में शामिल हैं, सिंचाई ढ़ांचा (नहरें , माइक्रो–इरिगेशन), ग्रामीण भंडारण/कोल्ड–चेन, कृषि अनुसंधान व विस्तार सेवाएँ, ग्रामीण सड़क/लॉजिस्टिक्स डिजिटल अवसंरचना और बाजार एकीकरण। ये खर्च पूंजीगत व्यय हैं, जिनका प्रभाव बहुवर्षीय होता है उत्पादकता, लागत–कुशलता और निर्यात क्षमता बढ़ाते हैं।

असंतुलन का अर्थ: जब कुल कृषि–सम्बंधित व्यय में सब्सिडी का हिस्सा सार्वजनिक निवेश से अधिक हो जाता है, तो तीन परिणाम सामने आते हैं। एक, अल्पकालिक राहत, दीर्घकालिक ठहराव किसान को तत्काल सहायता मिलती है, पर उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में स्थायी सुधार सीमित रहता है। दूसरा, राजकोषीय दबावः सब्सिडी स्थायी दायित्व बन जाती है, हर वर्ष दोहरानी पड़ती है। तीसरा, संसाधनों का अवसर–लागत वही संसाधन यदि सिंचाई, या वैल्यू–चेन में लगें, तो गुणक प्रभाव अधिक हो सकता है।

नीतिगत दुविधा: सरकारों के सामने सामाजिक–राजनीतिक दबाव होता है आय–सुरक्षा और मूल्य–स्थिरता सुनिश्चित करना। इसलिए सब्सिडी व्यय को तुरंत कम करना व्यवहारिक नहीं। परंतु यदि पूंजीगत निवेश की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई गई, तो कृषि "कम उत्पादकता उच्च सब्सिडी" के चक्र में फँसी रह सकती है।

सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण और दक्षता हो, राजस्व से पूंजीगत व्यय की ओर क्रमिक पुनर्संतुलन बने, रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट, जल–प्रबंधन और बाजार अवसंरचना में निवेश वृद्धि हो, परिणाम–आधारित बजटिंग हो। कृषि में सब्सिडी सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, पर दीर्घकालिक समृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी बढ़ाना अनिवार्य है। स्थायी समाधान सब्सिडी और निवेश के संतुलित संयोजन में निहित है।

बाजार–आधारित सुधारों पर बल, परंतु संस्थागत सुधार अधूरे: पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र में बाजार–आधारित सुधारों पर विशेष बल दिया गया है जैसे निजी निवेश को प्रोत्साहन, अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग), डिजिटल मंडियाँ, और आपूर्ति श्रृंखला में कॉर्पोरेट भागीदारी। यह दावे किये गये कि किसानों को अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार, बेहतर मूल्य खोज और व्यापक खरीदार उपलब्ध हों। किन्तु इन सुधारों के साथ आवश्यक संस्थागत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित गति से नहीं हुआ। भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण, विवाद निवारण तंत्र, सहकारी संस्थाओं की मजबूती, ग्रामीण न्यायिक पहुँच, और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की क्षमता–वृद्धि जैसे पहलू अभी भी कमजोर हैं। परिणामस्वरूप, बाजार खोलने से छोटे और सीमांत किसान अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं। बाजार–आधारित सुधार तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें मजबूत संस्थागत सुरक्षा, पारदर्शी नियमन और स्थानीय स्तर पर सक्षम प्रशासनिक तंत्र का समर्थन प्राप्त हो।

ग्रामीण वित्तीय ढाँचा असमान: भारत का ग्रामीण वित्तीय ढाँचा संरचनात्मक रूप से असमान और बहु–स्तरीय है। एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक मौजूद हैं, दूसरी ओर बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान अब भी साहूकारों व अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं।

संस्थागत ऋण की पहुँच राज्यों, फसलों और किसानो की श्रेणी के अनुसार भिन्न है। बड़े और वाणिज्यिक किसानों को अपेक्षाकृत आसान क्रेडिट मिलता है, जबकि छोटे किसानों को भूमि रिकॉर्ड, जमानत और दस्तावेजी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर है और तकनीकी आधुनिकीकरण अधूरा है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरों में असमानता, ऋण जाल और निवेश क्षमता में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जब तक ग्रामीण वित्तीय तंत्र समान, पारदर्शी और सुलभ नहीं होगा, कृषि उत्पादकता और आय वृद्धि की संभावनाएँ सीमित रहेगी।

कृषि में पूंजी संचय की गति धीमी: भारतीय कृषि में पूंजी संचय की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जो दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि के लिए चिंता का विषय है। पूंजी संचय का अर्थ है सिंचाई परियोजनाएँ, कृषि 22 – 28 फरवरी, 2026 मशीनरी, भंडारण संरचना, अनुसंधान, प्रसंस्करण इकाइयाँ और ग्रामीण अवसंरचना में निवेश। पिछले वर्षों में कृषि से जुड़े व्यय का बड़ा हिस्सा सब्सिडी और आय–समर्थन योजनाओं में गया है, जबकि पूंजीगत निवेश की हिस्सेदारी सीमित रही। छोटे जोत आकार, अनिश्चित आय, सीमित संस्थागत ऋण और निजी निवेश की कमी ने भी पूंजी निर्माण को बाधित किया है।

परिणामस्वरूप, आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की क्षमता कमजोर होती है। यदि कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाना है, तो पूंजीगत निवेश और संरचनात्मक परिसंपत्ति निर्माण पर विशेष बल देना आवश्यक है। कृषि संकट केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि संरचनात्मक पूंजी निर्माण का संकट है। अब इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे संभव होगा और आगे की दिशा क्या हो सकती है। जिसके लिए जरूरी है नीतिगत ढाँचा विकास, परिणाम–आधारित बजटिंग, जिला स्तर पर डिजिटल डैशबोर्ड, सामाजिक लेखा परीक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना, एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान, ड्रोन और प्रिसिजन फार्मिंग, भूमि रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण, वित्तीय सुधार करना, सहकारी बैंकों का पुनर्गठन, दीर्घकालिक पूंजी निवेश ऋण पर प्रोत्साहन, जोखिम साझाकरण मॉडल, इंफ्रास्ट्रेक्चर निवेश, कोल्ड चेन कॉरिडोर, माइक्रो–इरिगेशन, ग्रामीण ग्री–प्रोसेसिंग क्लस्टर आदि पर फोकस करना

अमेरिका–भारत व्यापार समझौता : भारतीय किसानों के हितों का समर्पण

डॉ. सोमा मारला

2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। भारतीय निर्यातों पर लगने वाला शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जबकि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर अपने आयात शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को शून्य प्रतिशत कर देगा। उसी दिन शाम को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस घोषणा का स्वागत किया, जबकि समझौते की शर्तें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई थीं और गुप्त रखी गई थीं। हमारा मीडिया और सत्तारूढ़ भाजपा शुल्कों में कटौती को प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताकर इसका जश्न मना रहे हैं। किंतु यह राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कृषि और उद्योग दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादो के शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति अत्यंत चिंताजनक है, जो पहले से ही संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को और अधिक गहरे संकट में धकेल सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से लगभग 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के कृषि उत्पाद आयात करता है, जिनमें काजू, मसाले, आवश्यक तेल, बासमती चावल, आम तथा ताजे और प्रसंस्कृत फल–सब्जियाँ शामिल हैं। इसके मुकाबले भारत अमेरिका से 2 1 अरब डॉलर मूल्य के सेब, मेवे, कपास और कुछ बेरी आयात करता है। वर्तमान में भारत अमेरिका को 2 8 प्रतिशत शुल्क पर निर्यात करता है और लगभग 1 .3 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज करता है। अब तक भारत आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) मक्का और सोयाबीन के आयात से हिचकता रहा है, जिससे अमेरिकी प्रतिष्ठान असंतुष्ट था। लेकिन वर्तमान अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के हस्ताक्षर के बाद स्थिति अमेरिका के पक्ष में झुकती दिखाई देती है।

वाणिज्य मंत्री का कहना है कि भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात पर कोई समझौता नहीं किया है। किंतु अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के बयान स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि भारत के वाणिज्य मंत्री ने देशवासियों को गुमराह किया है। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा घोषित समझौते के अनुसार भारत अनेक अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों जैसे फल–सब्जियाँ, सोयाबीन, मक्का, चिकित्सा उपकरण, रसायन और अन्य औद्योगिक वस्तुएँ पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत कर देगा। ब्रुक रोलिंस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर ट्रम्प का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह समझौता अमेरिकी किसानों को भारत के विशाल बाजार में अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद करेगा, कीमतें बढ़ाएगा और ग्रामीण अमेरिका में धन का प्रवाह बढ़ाएगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने समझौते की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट नहीं की है, जिससे किसान असमंजस में हैं। भारतीय किसान पहले से ही बढ़ती लागतों के बीच अपनी लागत वसूलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शून्य कर पर आयात को बढ़ावा देना कृषि संकट को और गहरा करेगा तथा किसानों को कर्ज और घाटे की ओर धकेलेगा। सस्ते मेरिकी डेयरी उत्पादों और पशुचारे (मुख्यतः मक्का और सोया खली) के आयात से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करना किसानों के लिए कठिन हो जाएगा।

किसान संगठनों ने मांग की है कि भारत–अमेरिका समझौते से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को पूर्णतः बाहर रखा जाए। वे देशव्यापी विरोध की तैयारी कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

संयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के दायरे में लाया जा रहा है। विभिन्न डेयरी और कृषि उत्पादों, यहाँ तक कि हानिकारक आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का, कपास और सोयाबीन के आयात का रास्ता खुल रहा है। भविष्य में आयात नियम और शिथिल किए जाने की संभावना है। मक्का, कपास, सोयाबीन और पशुचारे के आयात से घरेलू कीमतों में भारी गिरावट आएगी। इससे पहले भी अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए भारत ने कपास पर आयात शुल्क कम किया था, जिससे सस्ते अमेरिकी कपास के आयात ने बाजार मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरा दिया। व्यापार समझौते केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं होते, कृषि और डेयरी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण स्थिरता और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हैं।

यह व्यापार समझौता लगभग एक वर्ष की बातचीत के बाद अचानक घोषित किया गया। इसके पीछे इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या हाल के अंतरराष्ट्रीय खुलासे या कुछ शीर्ष भारतीय व्यक्तियों से जुड़े विवाद इसका कारण हैं? राष्ट्रपति ट्रम्प के दबाव में भारत ने रूसी तेल आयात बंद करने पर सहमति दी है। रूस और ईरान से सस्ता तेल लेने के बजाय अब अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा तेल लिया जाएगा। इसका लाभ निजी रिफाइनरियों को होगा, परंतु आम जनता को नहीं।

किसानों के हितों के विरुद्ध

भारत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कृषि कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। शून्य शुल्क पर सस्ते सोया, मक्का, दालें, पीली मटर, मूंगफली, चिकन लेग, आइसक्रीम, पनीर, पशुचारा, मांस, कपास, वनस्पति तेल, सेब और डेयरी उत्पादों के आयात से भारतीय बाजार में कीमतें गिरंगी। इससे दिवालिया किसान और खेत मजदूर आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन करेंगे।

1990 के दशक में डब्ल्यूटीओ चिकन और डेयरी उत्पादों के आयात से यह घरेलू डेयरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। मोदी का विश्वासघात? और वैश्विक कृषि कंपनियों के दबाव में पाम तेल आदि पर आयात शुल्क घटाया गया था। परिणामस्वरूप घरेलू तिलहन कीमतें उत्पादन लागत से नीचे चली गईं और देश आत्मनिर्भरता स्त्रोत निर्भरता की ओर चला गया।

अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है औसतन 66,314 डॉलर प्रति वर्ष (यूएसडीए–2020) इसके विपरीत भारत में 14.9 करोड़ छोटे–सीमांत किसान हैं जिन्हें सीमित सहायता मिलती है। शून्य आयात शुल्क एमएसपी से नीचे कीमतें गिरा देगा और करोड़ों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार एक–दो गाय–भैंस और कुछ मुर्गियाँ पालकर आय बढ़ाते हैं। महिलाएँ डेयरी क्षेत्र की रीढ़ हैं। अमेरिकी पनीर, आइसक्रीम, चिकन और डेयरी उत्पादों के आयात से यह घरेलू डेयरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

मोदी का विश्वासघात?

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में किसानों के हितों की रक्षा का वादा किया था। किंतु शून्य शुल्क पर कृषि और डेयरी आयात की अनुमति देकर वे संकटग्रस्त कृषि आजीविका को और कमजोर कर रहे हैं। पहले भी तीन कृषि कानूनों के विरोध के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा था। वर्तमान व्यापार समझौते के तहत भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदेगा। इससे सीमा शुल्क से होने वाली आय में भारी कमी आएगी। भारत का वार्षिक बजट लगभग 53 लाख करोड़ (लगभग 513 अरब डॉलर) है। यदि हम बड़े पैमाने पर अमेरिकी वस्तुएँ खरीदते हैं तो अन्य देशों के साथ व्यापार संतुलन कैसे बनाएँगे? चीन के साथ पहले से ही 150 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है।

राष्ट्र को यह संप्रभु अधिकार होना चाहिए कि वह किस देश के साथ क्या व्यापार करे। किसी भी दबाव मे राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। यह व्यापार समझौता किसानों के हित, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। अतः किसी भी व्यापार समझौते पर संसद में पारदर्शिता और सार्वजनिक चर्चा आवश्यक है। बीज और खाद्य क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हैं, व्यापार में राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्णय का अधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

खुशखेड़ा दुर्घटना की न्यायिक जांच एवं मृतक परिवार को मुआवजा की मांग पर मुख्यमंत्री को एटक का ज्ञापन

तेजपाल सैनी, महासचिव एटक – अलवर

अलवर, खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी विस्फोट में हुई श्रमिकों की मौत के विरूद्ध अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने का.राजकुमार बक्शी अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर न्यायिक जांच कराने एवं मृतकों के आश्रितों को 50–50 लाख रूपये का मुआवजा देने की मांग की गई हैं।

विज्ञप्ति मे बताया कि ज्ञापन देने से पूर्व भवानी तोप सर्किल के पास एकत्रित हो कर वहां से रैली के रूप रवाना हो कर मिनी सचिवालय पहुंचकर रैली को जिला महासचिव ने सम्बोधित करते हुए कहा कि खुशखेड़ा फैक्टरी की घटना कोई सामान्य नहीं हैं, इस फैक्टरी में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम हो रहा था, आग लगने से सात मजदूरों की जान चली गई, जिनकी पहचान भी मेडिकल आधार पर की जा रही हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना बहुत ही दर्दनाक हुई हैं।

ज्ञापन सौंपते एटक नेता

न्यायिक जांच एवं मुआवजा की मांग पर मार्च करता एटक

इस फैक्टरी के संचालक हेमंत शर्मा के बडा भाई योगेश शर्मा पुलिस मे हैड कांस्टेबल है जो भिवाडी के जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज थे। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही स्पेशल टीम को समाप्त कर योगेश शर्मा सहित दिनेश कुमार, विजय कुमार और जसपाल मानसिंह को लाईन हाजिर कर दिया गया, यानी पुलिस ने अपने बचाव में इन्हें मीडिया से दुर कर दिया है, जबकि यह सारा अपराधिक कार्य पुलिस के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इस घटना के पश्चात प्रशासन सक्रिय हो कर सभी फैक्टरियों की जांच कर रहा है जांच के दौरान जो स्थिति सामने आ रही हैं वह भी भयावह है। अधिकांश के पास फायर एनओसी नहीं होने एंव अन्य सुरक्षा के मानक पूरे नहीं के बावजूद फैक्टरियां कैसे चल रही हैं, अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की भी अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इन अनियमितताओ भी फैक्टरी चालू है जो यह दर्शाता है इसके पीछे भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो मजदूरों की जान ले रहे हैं।

एटक जिला महासचिव ने कहा कि जितना जिम्मेदार फैक्टरी संचालक है, उससे ज्यादा पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए न्यायिक जांच कराना आवश्यक हैं। प्रशासनिक स्तर पर जांच पर संशय बना रहेगा।

सैनी ने मजदूरों को आव्हान करते हुए कहा कि श्रमिक राष्ट्र निर्माता हैं, उनको भी जीने का हक हैं, अपनी सुरक्षा की खामियों को दुर कराने के संघर्ष करते रहे। केन्द्र सरकार ने 29 श्रमिक कानूनों को समाप्त कर 4 कोड संहिताएं लागू कर मजदूरों का पक्ष कमजोर किया है, प्रदेश सरकार ने भी कारखाना अधिनियम 1948 मे संशोधन कर काम के घंटों मे बढ़ोतरी की गई हैं, वहीं महिलाओं को रात्रि पाली में बुलाने पर सहमति सरकार ने जताई है, इन सब परिस्थितियों में मजदूर के पास संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं हैं,

जिला एटक ने ज्ञापन के माध्यम से मृतक मजदूरों के आश्रितों को 50–50 लाख रूपये मुआवजे के रुप में देने की मांग की है। सरकार भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र से हजारों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूलती हैं। सरकार द्वारा अभी 3–3लाख रूपये ही देने की घोषणा के समाचार हैं, जो नाकाफी है।

रैली में मनमोहन सैनी, सुबेसिंह मीणा, कैलाश सैनी, दीपक शर्मा, अशोक सैनी, बाबू लाल गौड, मुकेश सैनी, श्योराम गुर्जर, राजेन्द्र सैनी, जयप्रकाश, रमेश कालरा, जयप्रकाश गौतम आदि उपस्थित थे।

कामरेड प्रमोद शर्मा अमर रहें!

भारतीय खेत मजदूर यूनियन के वर्तमान राष्ट्रीय परिषद सदस्य, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के एक राज्य सचिव, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व राज्य परिषद सदस्य, बिहार के लखीसराय जिला के पूर्व जिला सचिव का. प्रमोद शर्मा की लंबी बीमारी से 13 फरवरी 2026 की रात्रि में आकस्मिक निधन हो गया।

का. प्रमोद शर्मा की आकस्मिक निधन से कम्युनिस्ट पार्टी, खेत मजदूर यूनियन वामपंथी आंदोलन एवं संपूर्ण मजदूर वर्ग के संघर्ष को अपूरणीय क्षति हुई है, का. प्रमोद शर्मा जो किसान नेता कार्यानंद शर्मा के परिवार से थे,उनकी माता कामरेड प्रभा शर्मा प्रख्यात कम्युनिस्ट महिला नेत्री थी, कम्युनिस्ट पार्टी एवं मजदूर वर्ग के संघर्ष का मसाल का. प्रमोद शर्मा को विरासत में मिली थी, जिसे अंतिम सांस तक वे आगे बढाते रहे।

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन उनके निधन पर शोक संतृप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना संप्रेषित करते हुए, का. प्रमोद शर्मा को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया है।

एटक सचिवमंडल उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता है

का0 प्रमोद शर्मा अमर रहे !

12 फरवरी की हड़ताल की गूंज संसद में गूंजी

12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दिन ही संसद के लोक सभा एवं राज्यसभा में श्रम संहिता पर भाकपा सांसदों का भाषण

12 फरवरी की हड़ताल देश के मजदूर वर्ग एवं उनके अर्जित अधिकारों, मानवाधिकारों एवं राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सम्मान से जुड़ा हैं इसकी गूंज संसद में भी गुंजी। विपक्षी सांसदों ने एकजुट प्रदर्शन के साथ हड़ताल का समर्थन किया एवं संसद में आवाज उठाई।

भाकपा के राज्यसभा सांसद पी. संदोश कुमार ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उन्हें केवल एक मिनट का समय दिया गया है, किंतु विषय अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि आज लाखों भारतीय श्रमिक हड़ताल पर हैं और सरकार उनके वास्तविक मुद्दों तथा आवाजों की निरंतर उपेक्षा कर रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ट्रेड यूनियनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि संगठित श्रमिक आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत श्रम संहिताएँ श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नहीं लाई गई हैं, बल्कि ये श्रम–विरोधी प्रकृति की हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इन प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 में निहित समानता, अवसर और जीवन के अधिकार की भावना के विपरीत है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। यह विधेयक श्रमिक हितों और ट्रेड यूनियन आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत के विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस विधेयक का विरोध दर्ज कराया।

लोकसभा में उठी आवाज

श्रम कल्याण की मूल भावना की अनदेखी

भाकपा के लोकसभा सांसद वी. सेल्वराज ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा करते हुए कहा कि आज **लोकसभा में जिस विधेयक पर विचार हो रहा है, वह देश के मेहनतकश वर्ग के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के एक कानूनी प्रयास की निरंतरता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उन्होंने इस विधेयक का कड़ा विरोध दर्ज कराया।**

सांसद ने कहा कि सरकार इस संशोधन विधेयक को कानूनी स्पष्टता के नाम पर प्रस्तुत कर रही है, किंतु वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में यह प्राथमिकता पूरी तरह अनुचित प्रतीत होती है। जब देश के करोड़ों श्रमिक अपनी आजीविका, रोजगार सुरक्षा और ट्रेड यूनियन अधिकारों को लेकर हड़ताल पर हैं, तब सरकार उनकी तात्कालिक समस्याओं के समाधान के बजाय तकनीकी संशोधनों और पुराने कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताओं में उलझी हुई है। यह श्रम कल्याण की मूल भावना की अनदेखी है। आज आवश्यकता कानूनी स्पष्टता से अधिक अधिकारों की स्पष्टता की है।

सांसद ने जोर देकर कहा कि देश के करोड़ों श्रमिक आम हड़ताल पर हैं और उनकी माँगें सरल एवं न्यायसंगत हैं चारों श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। किंतु सरकार न केवल ट्रेड यूनियनों की वास्तविक चिंताओं को सुनने के प्रति अनिच्छुक है, बल्कि श्रमिकों के लंबे संघर्षों से अर्जित अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास भी कर रही है। यह विधेयक श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को सीमित करेगा, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को कमजोर करेगा, स्थायी रोजगार के अवसरों को कम करेगा और नियोक्ताओं को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

भाकपा सांसद ने कहा कि आम हड़ताल के दिन ही इस विधेयक को प्रस्तुत करना उन चार श्रम संहिताओं को उचित ठहराने का प्रयास है, जो पूंजीवादी वर्चस्व की संरचना को मजबूत करती हैं। यह कदम निंदनीय है। देश में श्रमिकों के अधिकार एक दिन में प्राप्त नहीं हुए हैं, वे पीढ़ी–दर–पीढ़ी चले संघर्षों का परिणाम हैं। आठ घंटे का कार्यदिवस, न्यूनतम वेतन, सुरक्षा नियम और ट्रेड यूनियन अधिकार ये सभी श्रमिकों के रक्त और पसीने से अर्जित ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं। यह विधेयक उस इतिहास की उपेक्षा करता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर संघर्ष कर रहे श्रमिक विपक्षी दल नहीं, बल्कि देश की उत्पादक शक्ति हैं। जो सरकार उनकी आवाज नहीं सुनती, वह लोकतंत्र की मूल भावना की उपेक्षा करती है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र का अर्थ जनता की आवाज को सुनना और उसका सम्मान करना भी है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल गलत समय पर लाया गया है, बल्कि गलत उद्देश्य से भी प्रेरित है। आम हड़ताल के दिन श्रमिकों के विरुद्ध कानून थोपने का प्रयास सरकार के अहंकार और श्रमिक–विरोधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। अतः औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। श्रमिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए और श्रम संहिताओं की संपूर्ण समीक्षा की जानी चाहिए।

श्रमिक आंखों में दिखने वाला ईश्वर है

अंत में उन्होंने श्रमिकों और उद्योग पर महाकवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी गई कविता की पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए कहा कि जिस कवि ने श्रमिकों को मानवता का दिखाई पड़ने वाला ईश्वर बताया, उसी भावना के विपरीत यह विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने इस कृत्य की घोर निंदा की एवं कविता पाठ किया।

"तुम लोहा गलाते हो, मशीनों का निर्माण करते हो,
गन्ने से रस निकालते हो,
समुद्र में गोता लगाकर मोती निकालते हो।
इस धरती पर पसीना बहाकर हजारों कार्य करते हो।
मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ,
तुम स्वयं ब्रह्मा की सृजित एक कलाकृति हो।
मिट्टी के बर्तन बनाते हो, पेड़ काटकर भूमि समतल करते हो,
सब्जियाँ उगाते हो और हल चलाकर खेती करते हो।
दूध और घी उत्पन्न करते हो, वस्त्रों के लिए धागा बुनते हो।
स्वर्ग के देवता तुम्हारी रक्षा करें, जैसे तुम इस संसार की रक्षा करते हो।
गीत और कविताएँ रचते हो, भरतनाट्यम का नृत्य करते हो।
तुम सत्य का उद्घाटन करते हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो।
देश में सद्गुणों का विकास करते हो और सबका पालन–पोषण करते हो।
तुम ही मानव की आँखों से दिखाई देने वाले ईश्वर हो।

पंजीयन संख्या 62693/95 दिल्ली डाक पंजीयन संख्या DL(C)–01/1349/2024–26
ट्रेड यूनियन रिकार्ड मुद्रित एवं प्रकाशित 16–28 फरवरी, 2026 26 फरवरी, 2026 एलपीसीए दिल्ली आरएमएसए दिल्ली–06 में पोस्टिंग दिनांक 27–28 फरवरी, 2026

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की ओर से भारत के श्रमिक वर्ग के साथ एकजुटता का संदेश

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ (डब्ल्यूएफटीयू) 12 फरवरी, 2026 को होने वाली आगामी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के अवसर पर भारत के श्रमिक वर्ग के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है।

डब्ल्यूएफटीयू को इस बात पर गर्व है कि भारत के दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के प्रमुख मुद्दों में भारतीय श्रमिक वर्ग और मेहनतकश लोगों के मौलिक ट्रेड यूनियन अधिकार रक्षा की मांग शामिल हैं।

हमें यह जानकर गहरा सदमा और पीड़ा हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संसद के 29 श्रम संबंधी अधिनियमों का निरस्त करते हुए चार श्रम संहिताएं पारित और अधिसूचित की हैं। ये श्रम संहिताएं संगठन के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल के अधिकार पर गंभीर प्रहार करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। भारतीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त हड़ताल इन श्रमिक–विरोधी श्रम संहिताओं को 'श्रम शक्ति नीति, 2025' के साथ पूर्णतः निरस्त करने की मांग करती है।

अन्य महत्वपूर्ण मांगों में साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप मेहनतकश लोगों पर हो रहे आर्थिक हमलों का कड़ा विरोध करना शामिल है। हड़ताली ट्रेड यूनियनों के संयुक्त घोषणापत्र में कहा गया है, "देश की सरकार सभी रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं जैसे रेलवे, बंदरगाह और डॉक, कोयला खदानें, तेल, इस्पात, रक्षा, सड़क मार्ग, हवाई अड्डे, बैंक, बीमा, दूरसंचार, डाक, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति आदि का निजीकरण और बिक्री भारतीय और विदेशी मूल के बड़े निगमों को जारी रखे हुए है, जिससे स्वदेशी औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण जनता के लिए एक गंभीर झटका है क्योंकि वे असहनीय लागत वहन नहीं कर सकते। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती असमानताओं के कारण, बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।" डब्ल्यूएफटीयू इस बात को दोहराता है कि पूंजीवाद के व्यवस्थागत संकट का गहराना दुनिया भर के मेहनतकश लोगों पर हमला है।

भारत में हड़तालों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हमेशा से ही विशेष रहा है, जिसका एक कारण भारतीय श्रमिक वर्ग की विशालता भी है। इस बार भारत में श्रमिक–किसान–कृषक एकता अद्वितीय है। 12 फरवरी को होने वाली हड़ताल में किसानों और कृषि श्रमिकों की भागीदारी अभूतपूर्व आयाम प्राप्त करेगी और विश्व भर के श्रमिक वर्ग को वर्ग–आधारित जुझारू कार्रवाई का सशक्त संदेश देगी।

133 देशों में फैले अपने 10.5 करोड़ सदस्यों के साथ, डब्ल्यूएफटीयू भारत के श्रमिक वर्ग और किसानों की मांगों और कार्रवाइयों का पूर्ण समर्थन करता है और हड़ताल की शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएं देता है। डब्ल्यूएफटीयू ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई चेतावनी का भी समर्थन करता है कि "12 फरवरी की हड़ताल को एक सशक्त संदेश देना होगा। यदि सरकार श्रम संहिता को लागू करना जारी रखती है, तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और भी कड़े कदम उठाने के लिए विवश होंगी।"

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की ओर से,

पाम्बिस किरीत्सिस
डब्ल्यूएफटीयू महासचिव

विश्व शिक्षक संघ (फीसे) का 12 की हड़ताल के साथ एकजुटता संदेश

एफआईएसई 12 फरवरी, 2026, गुरुवार को दस भारतीय ट्रेड यूनियन संघों द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आम हड़ताल पर शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों, सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों और भारतीय श्रमिक वर्ग के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करता है। एफआईएसई इस ऐतिहासिक आंदोलन द्वारा रखी गई न्यायसंगत मांगों का पूर्ण समर्थन करता है, जिनका उद्देश्य है:

(1) श्रमिक वर्ग, श्रमिकों, किसानों, कृषि श्रमिकों और भारत की जनता के सामाजिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करना; (2) कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा पर हमलों के खिलाफ लड़ना; (3) नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना, जिसने चार श्रम संहिताएं (भारतीय संसद के 29 श्रम कानूनों और संबंधित विधानों का स्थान लेते हुए) अपनाई और अधिसूचित की हैं, जो संघ बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करने के लिए बनाई गई हैं; (4) "श्रम शक्ति नीति, 2025" के साथ इन श्रमिक–विरोधी श्रम संहिताओं को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करना। (5) भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों के लाभ के लिए सभी रणनीतिक सार्वजनिक उद्यमों और सार्वजनिक सेवाओं – रेलवे, बंदरगाह और गोदी, कोयला खदानें, तेल, इस्पात, रक्षा, सड़कें, हवाई अड्डे, बैंक, बीमा, दूरसंचार, डाक सेवाएं, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति आदि के निरंतर निजीकरण और बिक्री के खिलाफ लड़ाई। (6) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण के खिलाफ लड़ाई। (7) गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित शिक्षा प्रणाली और कार्य जगत को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष।

श्रमिक वर्ग और उसके सहयोगियों की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता हमारे आंदोलन की आधारशिला है।

विश्व शिक्षक संघ संघ संघ के रूप में, एफआईएसई अपने सभी संबद्ध संगठनों से 12 फरवरी, 2026 की आम हड़ताल के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित करने और इस प्रकार विश्व भर में लोगों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए एकता और सामूहिक संघर्ष को मजबूत करने का आह्वान करता है।

एफआईएसई महासचिव के लिए

ड्रिसी अब्देरज़ाक
महासचिव

प्रकाशक एवं मुद्रक अमरजीत कौर द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 35/36, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली 110002, दूरभाष: 23217320/23220264, E.mail: aituchq@gmail.com के लिए डोलफिन प्रिंटों ग्राफिक्स 487–483/8 ओबरॉय कम्पाउंड, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने, दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–95 में मुद्रित एवं आंकलन सॉफ्टवेयर द्वारा कम्पोज, फोन: 23382815, E.mail:aanklan.office@gmail.com
संपादक: विद्यासागर गिरि, फोन: 9431744445, 7903225528 E.mail:vsgiribokaro@gmail.com